कामकाजी महिला

वर्ष 5 अंक 4 अप्रैल, 1993 मूल्य : 2 रु०

सभी जन-संगठन भारत बंद की तैयारी करेंगे

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के तत्वावधान में 4 मार्च को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भारी तादाद में ट्रेड यूनियन संगठनों तथा दूसरे जन-संगठनों ने यह फैसला किया कि आइ. एम. एफ. द्वारा थोपी गयी मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाय और इसके साथ ही साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए।

इस बैठक में आयोजन समिति ने एक व्यापकतर मंच का निर्माण करने के लिए किसानों, खेत मजदूरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, वकीलों, वैज्ञानिकों आदि के अनेक जन-संगठनों को भी आमंत्रित किया था। बैठक में शामिल हुए संगठनों में सीटू, एटक, एच. एम. एस., आई. सी. सी. टी. यू., यू. टी. यू. सी., यू. टी. (ले. स.) अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन वीमेन, भारतीय खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, जनवादी नौजवान सभा, किसान सभा, आल इंडिया लायर्स यूनियन, एस एफ आइ, ए आइ एस एफ, अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन, आल इंडिया कोल वर्कर्स फैडरेशन, ए आइ बी ई ए, बेफी; आल इंडिया इंश्योरेंस एंप्लाईज एसोसिएशन, आल इंडिया डिफेंस एम्प्लाईज फैडरेशन, नेशनल फैडरेशन आफ पोस्टल एम्प्लाईज, पोस्टमैन यूनियन, डाक तार फैडरेशन, स्टील वर्कर्स फैडरेशन आफ इंडिया आदि के नाम मुख्य है। एच एम एस के वीरेश्वर त्यागी ने बैठक की अध्यक्षता की। सभी वक्ताओं ने नरसिम्हा राव सरकार द्वारा बैंक-कोष द्वारा निर्देशित नीतियाँ अपनाये जाने के कारण देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए उत्पन्न खतरे पर चिन्ता प्रकट की। गंभीर विरोध के बाद भी यह जनविरोधी बजट आज जिसमें मुद्राकोष की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है। बैठक में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया कि श्रम-संगठनों व सभी जन संगठनों में व्यापक एकता कायम की जाये ताकि एक सशक्त आन्दोलन चलाकर सरकार को अपने कदम पीछे लेने पर मजबूर किया

[शेष पृष्ठ 24 पर]

इस अंक में

सभी जन-संगठन भारत बंद की तैयारी करेंगे	2
कांग्रेसी सरकार की आर्थिक नीतियों व सांप्रदायिकता के बढ़ते हुए खतरे के विरुद्ध संघर्ष करें	3
गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सेवाओं	5
महिलाओं पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव पर राष्ट्रीय कार्यशाला	6
कामगार महिलाओं का आंध्रप्रदेश राज्य सम्मेलन	10
बम्बई में सांप्रदायिक दंगे—भाडुप	11
यूनाइटड इंडिया इंश्योरेंश में महिला कर्मचारियों को तंग किया जाना	13
भारत में बालिकाएं—एक सर्वेक्षण	14
आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण शिविर में भारी अव्यवस्था	15
बालिका शिशु हत्या रोकने को 'पालने' ही काफी नहीं	16
तमिलनाडु की राजनीति और मंत्रियों का एकतरफा रवैया	17
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड कामगार महिलाओं का सम्मेलन	17
पुणे जिला आंगनवाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन	18
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड का सम्मेलन	19
बम्बई के सांप्रदायिक दंगों पर रपट	20
प० बंगाल गणतांत्रिक महिला समिति का 20वां राज्य सम्मेलन	22
बिहार प्रदेश में आंगनवाड़ी सेविकाओं पर जुल्म	23
आंगनवाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन	23
त्रिपुरा में वाम मोर्चे की जबर्दस्त जीत	24

फोटो ऊपर : 2-3-93 को तमिल नाडू बिजली बोर्ड के मुख्य कार्यालय पर प्रदर्शन का एक दृश्य।

नीचे : पूणे में 8-9 मई 1992 को महाराष्ट्र का द्वितीय आंगनवाड़ी राज्य सम्मेलन।

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-110095 से मुद्रित।

कांग्रेसी सरकार की आर्थिक नीतियों व सांप्रदायिकता के बढ़ते हुए खतरे के विरुद्ध संघर्ष करें

कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक 22 फरवरी, 1993 को का. पी. गंगम्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुद्रा कोष व विश्व बैंक से सशर्त ऋण लेने के उपरान्त बनी आर्थिक व औद्योगिक स्थिति के बारे में विचार किया गया जो रोजगार अवसरों, खास कर महिलाओं के रोजगार पर प्रहार करती है। नागपुर में हुई पिछली बैठक के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के कारण देश में गंभीर सांप्रदायिक स्थिति पैदा हो गयी, जिसका बैठक में जायजा लिया गया। बैठक में हुए लाभदायक विचार-विमर्श के बाद समिति ने भविष्य का कार्यक्रम निर्धारित किया।

बैठक में विभिन्न राज्यों के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया: कॉ. शिवानी सेनगुप्ता, अंजलि दासगुप्ता, गार्गी मुखर्जी, आरती दासगुप्ता, पी. गंगम्मा (पश्चिम बंगाल), कॉ. एल. उमा माहेश्वरी, ईश्वरी, एम. पी., परमेश्वरी, कृष्णाबाई, के. धनलक्ष्मी (तमिलनाडु), कॉ. प्रसन्नाकुमारी (केरल), कॉ. के. हेमलता तथा वी. सरोज (आंध्र प्रदेश) तथा केन्द्र की ओर से कॉ. विमल रणदिवे बंगलौर से कॉ. विमला व कुछ अन्य आमंत्रित जन भी बैठक में मौजूद थे।

कॉ. विमल रणदिवे, सचिव ने विचार-विमर्श हेतु रपट रखी। उन्होंने जो महत्वपूर्ण मुद्दे सामने रखे वे ये— प्रायोजक समिति द्वारा आयोजित दो हड़तालों में कामगार महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया जाना व 25 नवम्बर को दिल्ली में हुई रैली में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का उल्लेखनीय संख्या में भाग लिया जाना। सेवा क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए बेरोजगारी की स्थिति पैदा होना श्रम मंत्रालय की इस घोषणा के बाद और भी निश्चित हो गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत अनेक इकाइयाँ बन्द की जायेंगी। इस संदर्भ में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला का भी जिक्र किया जिसमें एन जी ओ, कर्मचारियों, नियोक्ताओं व श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों समेत लगभग 100 महिलाओं ने भाग लिया। लगभग सभी वक्ताओं ने सरकार के नये आर्थिक व औद्योगिक सुधारों के महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिन्ता प्रकट की।

उन्होंने आंगनवाड़ी आन्दोलन का जिक्र किया जहाँ महिलाओं को नाममात्र का मानदेय मिलता आया है। अतः इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन व अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए आन्दोलन को तेज करना होगा।

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार व अन्य स्थानों पर नयी समितियों के गठन के रूप में एक अच्छी शुरुआत हुई है। महिलाओं को उच्चतर समितियों में पदोन्नत भी किया गया है। इस बारे में भी विचार-विमर्श हुआ।

कमियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि नागपुर बैठक में निर्धारित किये गये कार्य पूरे नहीं हुए हैं। इस संबंध में उन्होंने निर्माण उद्योग, बीड़ी उद्योग, वस्त्रोद्योग व अन्य क्षेत्रों में किए गए काम का जिक्र किया व इस बारे में विचार-विमर्श का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने जुलाई माह में कामगार महिलाओं के लिए श्रम कक्षा आयोजित करने के सचिव मंडल के फैसले के बारे बताया व सिलेबस की भी जानकारी दी।

इसके बाद रिपोर्ट पर विचार-विमर्श आरंभ हुआ:

का. प्रसन्ना कुमारी (केरल): ने केरल में कामगार महिलाओं की गतिविधियों व सीटू के काम की प्रगति के बारे में बताया।

तमिलनाडु से का. उमा महेश्वरी ने बताया कि वहाँ दस जिलों में जिलावार सम्मेलन हुए व उसके बाद समितियाँ गठित की गयीं। उन्होंने कहा कि उन्हें केन्द्र के आह्वान व फैसले प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सरकार की आर्थिक व औद्योगिक नीतियों के बारे में समाज के सभी वर्गों के बीच किए गए काम के बारे में बताया। वहाँ कामगार महिलाओं के सम्मेलन आयोजित किए गए

जिनमें 21 तारीख को चिंगलपट्टी में आयोजित किया गया सम्मेलन भी शामिल है। इसमें विभिन्न उद्योगों से लगभग 16 महिलाओं ने भाग लिया। वे कैडर के विकास के रूप में बोलीं। माइको उद्योग के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ महिला उद्यमियों को संगठित करने के लिए प्रयास करने होंगे। सम्मेलन में 80% सदस्य उद्योगों से आये। उन्होंने केन्द्र से अनुरोध किया कि वह सभी केन्द्रों के लिए समान अपील करे। उन्होंने एल.आई.सी. में हाल ही में आयोजित महिला सम्मेलन का उल्लेख किया जिसमें 90 महिलाओं ने भाग लिया।

पश्चिम बंगाल से का. गार्गी मुखर्जी ने बताया कि वहाँ कुल 26 जिलों में से 10 में सम्मेलन आयोजित किए गए व समितियाँ गठित की गयीं। सांप्रदायिकता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कलकत्ता को विकट स्थितियों के बारे में बताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की बीमार औद्योगिक इकाइयों का उल्लेख किया जो बन्द होने के कगार पर हैं। उन्होंने भी केन्द्र से अनुरोध किया कि वह राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करे ताकि बेहतर ढंग से काम हो सके।

का. लीला दास ने बाल श्रम की समस्या व उसके बारे में हमारी नीति का प्रश्न उठाया। पश्चिम बंगाल सीटू ने यूनियन स्तर की समितियाँ गठित करने का फैसला किया है।

का. आरती दास गुप्ता ने भी कहा कि केन्द्र की ओर से कुछ कार्य निर्धारित किए जाने चाहिये जिन्हें सारे राज्य अपनाएं। श्रम कक्षा के विचार का पश्चिम बंगाल की साथियों ने भी स्वागत किया व कहा कि केन्द्र प्रत्येक राज्य के लिए महिलाओं का कोटा निर्धारित करे।

रिपोर्ट पर बोलते हुए देवी परमेश्वरी ने विद्युत विभाग की यूनियन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने आराम-गृहों, अलग शौचालयों व क्रेच की मांग उठायी। ठेका मजदूरों के बारे में उच्चतम न्यायालय में मामला चलाया गया है। कुछ लोगों को वापस ले लिया गया लेकिन एक भी महिला को नहीं लिया गया। तिरुनेलवेली में हुए कामगार महिलाओं के सम्मेलन में इंटक व एटक की महिलाओं ने भी भाग लिया। उन्होंने श्रम कक्षा के विचार का स्वागत किया।

आंध्र प्रदेश की का. हेमलता व का. वी सरोज ने रिपोर्ट पर बोलते हुए जुलाई में श्रम कक्षा आयोजित किए जाने के विचार का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधारों के महिलाओं के रोजगार पर होने वाले हमलों के उद्योगवार हमलों के अनुभवों को विभिन्न राज्यों में प्रचारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ठेका प्रणाली लागू किए जाने के बारे में बताया जहाँ महिलाओं को अंतिम वरीयता दी जाती है। इसके बाद वे 13-14 फरवरी को हुए सम्मेलन के बारे में बोलीं। इन स्थानों पर समितियाँ गठित की गयीं। आंगनवाड़ी में उन्होंने अच्छी प्रगति की है जहाँ लगभग 600 महिलाओं ने विजाग में हुए धरने में भाग लिया। वी. सरोज ने आई.डी.पी.एल. के अपने अनुभव के बारे में बताया जहाँ 2000 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया।

कर्नाटक की ओर से का० राजम्मा व का. खुर्शीद बेगम ने विचार-विमर्श में भाग लिया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में सीटू की कुल सदस्यता में से 30% महिलाएं हैं। नेतृत्व का महिलाओं के प्रति उत्साहपूर्ण रवैया नहीं है तथा वे महसूस करते हैं कि महिलाओं को आगे लाना एक तरह का बोझ है। उन्हें केन्द्र की ओर से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कर्नाटक में बीड़ी उद्योग में पुरुषों व महिलाओं को समान वेतन दिया जाता है। का. राजम्मा ने बी.ई.एल. का उदाहरण दिया जो बन्द होने के कगार पर है। सरकार रंगीन टी.वी. के निर्माण की अनुमति नहीं दे रही है। इस विभाग 300-400 महिलाएं कार्यरत हैं। का. खुर्शीदा बेगम ने अपना 20 वर्ष का अनुभव बताया जब उन्होंने अपनी फैक्ट्री में यूनियन बनाई व महिलाओं ने बेहतर वेतन हासिल किया। लेकिन अब स्थिति भिन्न है और छोटी इकाइयाँ धीरे-धीरे बन्द हो रही हैं। सीटू के नेताओं को जिम्मेदाराना ढंग से कार्य करना चाहिए।

लगभग सभी सदस्य सांप्रदायिक सद्भाव तथा नयी तकनीक के महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बोले।

का० विमल रणदिवे ने बहस का जवाब दिया। उन्होंने पंजाब, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति का जिक्र किया। इसका कारण पता नहीं था। कई बार खर्च की समस्या भी आ जाती है तथा सचिव मंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया कि यात्रा करके आने वाले प्रतिनिधियों को

खर्च प्रदान किया जाए। जनरल काउंसिल ने भी इस फैसले को अनुमोदित कर दिया। सीटू के काम में कैडर की समस्या का महिलाओं को स्वयं ही समाधान करना होगा। इस बारे में उन्होंने पश्चिम बंगाल व केरल का उदाहरण किया जहाँ पर्याप्त कैडर है। उन्हें बीड़ी व निर्माण उद्योग में काम करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उनके मुद्दों को उठाया जाना चाहिये। बाल-श्रम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में उन्होंने सीटू की स्थिति स्पष्ट की कि अभी यह व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं होगा क्योंकि गरीब परिवारों में उनसे मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अगले माह तक एक कार्यशाला आयोजित कर रहा है तथा हमें उसमें अपने विचार रखने चाहिए कि उनकी कार्यस्थितियों व शिक्षा आदि की व्यवस्था में सुधार अपेक्षित है। उन्होंने सदस्यों के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू, की एक संपूर्ण बैठक पर्याप्त समय के नोटिस पर हो।

भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में विचार करने के बाद निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किये गये :

1. जहाँ कहीं भी उद्योगों में महिला कामगारों की संख्या अधिक है वहाँ हमें समान वेतन के प्रावधान जैसे मुद्दे उठाने चाहिये।

2. आर्थिक व औद्योगिक नीतियों के महिलाओं पर प्रभाव के बारे में सामग्री प्रकाशित करके राज्यों को वितरित की जाये।

3. जुलाई, 1993 में श्रम कक्षा आयोजित की जाये। यह अंग्रेजी में हो क्योंकि यह कक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होगी व अनेक स्थानों पर स्थानीय भाषा भी अंग्रेजी है। यदि आंध्रप्रदेश राज्य समिति अनुमति दे तो यह कक्षा हैदराबाद में की जाए।

4. राज्यों से काम-काज की रिपोर्ट केन्द्र को नियमित रूप से भेजी जाये।

5. सभी राज्यों में 'वॉइस ऑफ द वर्किंग वोमेन' तथा 'कामकाजी महिला' की बिक्री बढ़ाई जाये।

कॉ॰ उमा महेश्वरी ऑस्ट्रेलिया में हुए सम्मेलन की रिपोर्ट प्रदान की जिसमें उन्होंने भाग लिया था।

पश्चिम बंगाल जूट उद्योग की जानी मानी नेता कॉ. पी. गंगम्मा, जिन्होंने बैठक की अध्यक्षता की, आन्दोलन के बारे में बोलीं। उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में बताया जिससे सदस्यों का बहुत उत्साह बढ़ा। अध्यक्ष के वक्तव्य के बाद बैठक समाप्त हुई।

गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सेवाओं का अभाव

आशित दत्ता की असम सरकार से अपील

प्रिय महोदय,

बार शिकायतें किए जाने तथा विचार-विमर्श के बावजूद गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय सेवा प्रदान करने की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप श्रीमती अलामा मुंडा, निजापात (स्थायी कर्मचारी) के नवजात शिशु की 1.2.93 को मृत्यु हो गयी। यह इस तरह को पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनायें हुई हैं जिनकी ओर प्रबंधकों तथा चिकित्सकीय स्टाफ का ध्यान अकर्षित किया गया था। 1.2.93 की घटना से इस ओर आपकी लापरवाही व उदासीनता साफ प्रकट होती है।

उक्त घटना के बारे में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं।

1. हालांकि मरीज सुबह 9.00 बजे से डाक्टरी सहायता की मांग कर रही थी लेकिन उसे आपके गार्डन अस्पताल में 1.2.93 को 2.30 बजे लाया गया।

2. मरीज को बोंगाई गांव के सिविल अस्पताल में 5,00 बजे ले जाया गया लेकिन वहाँ के डॉक्टर द्वारा देखने से इन्कार करने पर उसे गार्डन अस्पताल लाया गया। पता चला है कि इस बीच उसे रक्तस्राव होता

3. कुछ देर बाद उसे स्थानीय नरसिंग होम में ले जाया गया जहाँ उसका तुरन्त ऑपरेशन किया गया तथा मृत शिशु पैदा हुआ।

डॉक्टरों, नर्सों व कंपाउडरों आदि की पूरी सुविधा होने के बाद भी ऐसी घटना का घट जाना जांच तथा दण्ड का कारण है तथा इससे प्रबंधक भी बच नहीं सकते।

मामले में आपका हस्तक्षेप नितान्त आवश्यक है।

महिलाओं पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव पर राष्ट्रीय कार्यशाला

विमल रणदिवे

27-29 जनवरी, 1993, को यू.एन.डी.पी. सम्मेलन कक्ष में 'रोजगार समानता व आर्थिक सुधारों का महिलाओं पर प्रभाव' विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन व राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया था। कार्य-शाला का उद्घाटन केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री श्री पी.ए. संगमा। उपस्थित जन-समूह को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती जयंती पटनायक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के निदेशक श्री ई. मेन्रे, दिल्ली तथा श्रम सचिव श्री एस. गोपालन ने संबोधित किया।

आर्थिक सुधारों व महिलाओं पर उनके प्रभाव के मुद्दे पर संगठनों द्वारा कार्यशाला का आयोजन महत्वपूर्ण घटना थी। यदि कांग्रेस (ई) सरकार की घोषणा के अनुसार आर्थिक व औद्योगिक नीतियों को लागू किया गया तो कामगार महिलाओं की स्थिति पर इसका प्रभाव निश्चित् रूप से पड़ेगा। इस मुद्दे को सही समय पर उठाया गया जबकि विभिन्न महिला संगठनों, श्रमिक नेताओं, सरकारी प्रतिनिधियों, ने अपने बिचार रखे तथा सुश्री वसुधा धगमवार, सुश्री टीनू जोशी ने संबद्ध विषयों पर अपने पर्चे पढ़े, जिनसे विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान मिला। उल्लेखनीय है कि एक समर्पित समाज सेविका व एस.ई.डब्ल्यू.ए. की कार्यकर्त्ता सुश्री रेनन जेब्वाला तथा एच.एम.एस. की सुश्री इन्दिरा सक्सेना ने भी अपने पर्चे पढ़े। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेष प्रतिनिधि भी सेमीनार में बोले। आई.एल.ओ. की प्रति-निधि सुश्री अनीता कैलेस ने 27 ता. को सेमीनार में इस विषय को रखा।

विभिन्न वर्गों से लगभग 90 प्रतिनिधियों ने कार्य-शाला में भाग लिया। कार्यशाला में सुश्री विजयलक्ष्मी (इंटक), सुश्री इन्दिरा सक्सेना (एच.एम.एस.) श्रीमती पार्वती कृष्णन (एटक), श्रीमती विमल रणदिवे (सीटू), श्रीमती गीता गोखले (बी.एम.एस.) व अन्य लोगों ने हिस्सेदारी की। श्रम संगठन विश्व बैंक व मुद्रा कोष के ऋणों से जुड़ी नयी आर्थिक नीतियों के कारण रोजगार, खासकर, महिलाओं के रोजगार की स्थिति के बारे में विशेष रूप से चिन्तित हैं तथा उन्होंने भारतीय श्रम-सम्मेलन व अन्य मंचों से इस बारे में आवाज उठाई है। विचार-विमर्श के दौरान वे ही सबसे ज्यादा मुखर रहे व उन्होंने इन आर्थिक सुधारों का विरोध किया जिनसे मज-दूर वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ना तय है।

इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन व उसमें विभिन्न तबकों के मत आमंत्रित किए जाना, इन सुधारों के लागू होने की स्थिति में रोजगार के बारे में गंभीर चिन्ता को व्यक्त करता है जिसे वित्त मंत्रालय व भारत सरकार लगातार नजरअन्दाज करते रहे हैं। कार्यशाला में कोस्टरिका, जमैका, जाम्बिया व ब्राजील आदि देशों का उदाहरण दिया गया जहां ऐसे सुधार लागू किये जा चुके हैं। यह बताया गया है कि इन सुधारों का सबसे बड़ा शिकार महिलाएं बनेंगी।

कृषि, मछली-पालन तथा वानिकी आदि में कार्यरत हजारों महिलाएं भी प्रभावित होंगी। विचार-विमर्श में लघु उद्योगों व शहरी संगठित उद्योगों में कार्यरत महि-लाओं के मुद्दे भी उठे। लगभग तीन दिन तक चले विचार-विमर्श के बाद विषय को चार भागों में बांटा गया : (क) आर्थिक सुधारों का महिलाओं पर प्रभाव, (ख) प्रावधान, (ग) संगठन, (घ) कानून। तय किया गया कि चार ज्ञापन खुले अधिवेशन में अंतिम रूप से मान्यता प्रदान किये जाने के लिए रखे जायेंगे।

उद्घाटन

खुले अधिवेशन का आरंभ 27 तारीख की सुबह 'ऑल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' में श्रम राज्य मंत्री द्वारा किया गया। इसके बाद सुश्री जयन्ती पटनायक ने सत्र को संबोधित किया। भाषणों का सार अलग-अलग था। एक का मत था कि बजट सत्र औद्योगिक संबंध विधेयक लाकर सुधारों को आगे बढ़ाया जाये। समाधान यह बताया गया कि महिलाओं के लिए व्यापक साक्षरता अभियान चलाया जाये। ताकि उनके लिए रोजगार पैदा

हो सकें। श्री संगमा का मत था कि रोजगार अवसरों में महिलाओं को भागेदारी प्रदान करने के लिए उनके बीच व्यापक साक्षरता अभियान चलाया जाना आवश्यक है। उसके बाद श्री संगमा ने बताया कि विश्व बैंक ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 8,2400 लाख का ऋण प्रदान किया है जिसका 25 प्रतिशत केवल महिलाओं के क्षेत्र में खर्च किये जाने का फैसला किया गया है। सुश्री पटनायक ने महिलाओं के हितों का बचाव किया। वर्तमान समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को हमेशा कम करके आंका जाता है। उन्होंने आगे कहा कि नयी नीतियों के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशा के बारे में बताया महिला साक्षरता के आंकड़े बताए जो केवल 39.42 प्रतिशत है। महिलाओं के रोजगार के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें अकुशल व असंगठित क्षेत्र में रोजगार दिया जाता है। और काम में महिलाओं की भागेदारी का अनुपात 22.69 प्रतिशत है। यहां श्रीमती पटनायक ने कुछ विकासशील देशों के उदाहरण दिये जिन्होंने ऐसे ही सुधार कार्यक्रम अपनाये थे व जिनके कारण महिला आयोग का इस बात की आशंका हुई कि कहीं स्थिति सुधरने की बजाय और खराब न हो जाये। इन देशों में जो कार्यक्रम अपनाये गये उनका वहां के स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उन्होंने इस तथ्य को दोहराया कि हमारे देश को दूसरे देशों से उदाहरण लेना चाहिए ताकि यहां ऐसी स्थिति पैदा न हो सके। उन्होंने कहा कि 'राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990 का एक प्रावधान यह है कि महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों में केन्द्र सरकार आयोग की सलाह लेगी। उन्होंने आशंका व्यक्त की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बन्द होने का महिलाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू कर दी गयी है। सभी बेरोजगार हुए लोगों को पुनः रोजगार प्रदान करना संभव नहीं होगा। अपने भाषण के अन्त में उन्होंने श्रम मंत्री से अनुरोध किया कि प्रस्तावित औद्योगिक संबंध कानून में पुरुष व महिला मजदूरों का खयाल रखा जाये व महिलाओं को प्रभावित करने वाले श्रम-कानूनों के उचित कार्यान्वयन का खयाल रखा जाए क्योंकि इससे भी उनकी कठिनाइयों को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। 1993-94 के बजट की प्रक्रिया जारी है तथा मैं आशा करती हूं कि वित्तमंत्री महिलाओं के हितों का खयाल रखेंगे...।"

श्री संगमा ने सुधार कार्यक्रमों की बात दोहरायी हालांकि उन्होंने कहा कि महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं लेकिन सुधार आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं साक्षर हो जायें तो अनेक समस्याएं सुलझ जायेंगी।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निदेशक श्री ई. मेन्रे ने ने कहा कि आई.एल.ओ. ने महिला-रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए इस देश में अनेक कार्यक्रम चलाये हैं तथा सरकार के सुधार कार्यक्रमों को देखते हुए उसने कार्यशाला का विषय चुना। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के अनेक सम्मेलनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 'स्थायी शांति का आधार सामाजिक न्याय ही हो सकता है।

विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श

महिलाओं के विभिन्न तबकों पर सुधार कार्यक्रम के संभावित प्रभावों के बारे में कुल छः पर्चे रखे गए :

(क) 'भारत के आर्थिक सुधारों की विशेषताएं, रोजगार व गरीबी पर प्रभाव'—अशोक घोष

(ख) भारत में गहरी अनौपचारिक कार्यों में रत महिलाओं पर आर्थिक सुधारों का प्रभाव—पुष्पा पाठक

(ग) महिलाओं के ग्रामीण रोजगार पर माइक्रो-एकोनॉमिक सुधारों का प्रभाव—सुश्री जयंती घोष (जे.एन.यू.)

(घ) आर्थिक उदारीकरण व ढांचागत सुधारों का का भारत में खाद्य-सुरक्षा पर संभावित प्रभाव —डा. उत्सा पटनायक (जे.एन.यू.)

(ङ) भारत में महिला उद्यमियों के लिए समानता —सुश्री टीनू जोशी

(च) शिक्षा—महिलाओं की समानता का एक साधन —सुश्री वसुधा धगमगर

इनके अतिरिक्त 'महिला संगठनों का नजरिया' सुश्री इन्दिरा सक्सेना द्वारा व 'अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत

महिलाओं की समस्याएं व योजनाएं' विषय पर 'सेवा' की सुश्री रेनन जेब्वाला ने दो महत्वपूर्ण पर्चे रखे।

विचार-विमर्श के दौरान महत्वपूर्ण आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। वर्तमान जन वितरण प्रणाली के बारे में भी विचार-विमर्श हुआ तथा दुकानों में खाद्यान्न उपलब्ध न होने की बात कही गयी। वक्ताओं ने आशंका व्यक्त की कृषि क्षेत्र में नयी तकनीक के आयात से इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मछली-पालन के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के भविष्य का प्रश्न भी बार-बार उठा क्योंकि टॉलर्स जैसी नयी मशीनें जल्दी ही आ जाएंगी।

औपचारिक क्षेत्र में, जहां महिलाएं कार्यरत हैं, इन सुधारों का असर और भी स्पष्ट होगा। यह विचार व्यक्त किया गया कि हथकरघा, जूट व तम्बाकू उद्योग में नई मशीनरी आ जाने के कारण रोजगार में कमी आई है। अहमदाबाद व कोयम्बटूर जैसे बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहा महिलाएं अभी भी कार्य कर रही हैं। खादानों में मशीनरी व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण रोजगार बहुत घट गया है।

अधिकतर वक्ताओं ने राय व्यक्त की कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। सुश्री रेनन जेब्वाला ने कार्यस्थितियों का मुद्दा उठाया। को-ऑपरेटिवों का मुद्दा भी उठा व कुछ लोगों ने को-आपरेटिव खोलने का सुझाव दिया।

महिलाओं के बारे में मौजूद वर्तमान प्रावधानों के लागू न होने की भी आलोचना की गयी। सुश्री टीनू जोशी ने कहा कि वर्तमान प्रावधानों व उपायों के बावजूद महिलाओं की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी भी अनेक कमियां हैं जिन्हें सम्मिलित प्रयत्नों द्वारा दूर किये जाने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि आई.एल.ओ. सम्मेलन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। साक्षरता की स्थिति भी बहुत खराब है और उसे सुधारने के प्रयास किए जाने चाहिए जिससे रोजगार की स्थिति में सुधार होगा।

उन्होंने श्रम संगठनों से अपील की कि वे खराब कार्य के स्थितियों के बारे में गरीब महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करायें साथ ही उन्होंने महिलाओं से भी अपील की कि वे बड़ी संख्या में श्रम संगठनों में शामिल हों।

प्रावधानों ने कार्यान्वित न होने के मामले में काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अनुपात मशीनरी की आलोचना की गयी। इंटक की सुश्री विजय लक्ष्मी ने कहा कि प्रावधानों का उल्लंघन नियोक्ताओं द्वारा ही अधिक होता है। बीड़ी व निर्माण उद्योगों में समान वेतन कानून लागू नहीं होता। सुश्री रेनन जेब्वाला ने इस तथ्य की ओर इशारा किया महिलाओं के लिए मिलने वाले अनुदानों का लाभ प्रायः महिलाओं को नहीं मिल पाता।

सदस्यों ने प्रशिक्षण सुविधाओं का मुद्दा भी उठाया व कहा कि इंजीनियरिंग व ऐसे अन्य उद्योगों में महिलाओं की प्रतिशतता बहुत कम है। श्रम मंत्री ने अपने भाषण में 100 आई.टी.आई विद्यालयों की वृद्धि की बात कही। संयुक्त सचिव मीरा सेठ ने भी दोहराया कि 100 आई. टी स्कूल व 600 कामगार महिला आवास बनाये जायेंगे। इंजीनियरिंग व ऐसे अन्य उद्योगों में प्रशिक्षण के अभाव में महिलाओं को वर्तमान ढांचे में शामिल नहीं किया जा सकता।

शहरी औपचारिक क्षेत्र में नयी आर्थिक नीतियों के प्रभाव के प्रश्न पर सुश्री पुष्पा पाठक ने कहा कि आर्थिक सुधारों का असर सबसे ज्यादा औपचारिक क्षेत्र में नजर आयेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में मुनाफे को सुलभ बनाने के लिए निर्गम नीति छंटनी की अनुमति देगी। उन्होंने बीमार इकाइयों के बन्द होने की संभावना के बारे में भी बताया जिनमें से कुछ कम मजदूर कार्यरत हैं।

लेकिन अपने निष्कर्ष में वह आशा प्रकट करती हैं कि आर्थिक सुधारों से शहरी रोजगार की स्थिति सुधरेगी कुछ महिलाओं को संगठित व औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार मिलेगा व स्व-रोजगार की स्थिति भी सुधरेगी।

श्रम संगठनों की भागेदारी

श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप उल्लेखनीय थे। एच.एम.एस. द्वारा रखे गये पर्चे का सीटू की विमल रणदिवे, एटक की पार्वती कृष्णन, इंटक की विजय लक्ष्मी ने हस्तक्षेप किया। बहस में हस्तक्षेप करते हुए सीटू की विमल रणदिवे ने श्रम मंत्री के भाषण का हवाला दिया जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव की बात कही गयी थी जहां बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत

हैं। उन्होंने राष्ट्रीय नवीकरण कोष व गोल्डन हैंडशेक के द्वारा मदद का वायदा किया था। उन्होंने पूछा कि क्या गहरी क्षेत्र में कार्यरत 4 करोड़ पुरुषों व महिलाओं तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों को राहत देना संभव है। उन्होंने पूछा कि क्या उन सबको इस कोष से लाभ होगा। और हमारी आत्मनिर्भरता व औद्योगिक विकास का क्या होगा? इसके बाद उन्होंने विश्व बैंक व मुद्रा कोष की शर्तों का उल्लेख किया जिनके तहत कल्याण योजनाओं व खाद्य पदार्थों पर से सब्सिडी हटाये जाने के कारण गेहूं व चावल आदि के दामों में वृद्धि हो गयी है। उन्होंने प्रशिक्षण के अभाव में महिलाओं के रोजगार पर हमले की बात कही। कपड़ा व तम्बाकू उद्योग से अनेक महिलाओं को निकाल दिया गया है। परिणामस्वरूप अधिक महिलाएं असंगठित क्षेत्र में आ गई हैं जहां न्यूनतम वेतन भी प्रदान नहीं किया जाता। आई.एल.ओ. सम्मेलन मौजूद हैं लेकिन सीटू के हस्तक्षेप के बाद भी सरकार मदद नहीं करती जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को कम वेतन पर खराब स्थितियों में कार्य करना पड़ता है। इस संदर्भ में उन्होंने आई.सी.डी.एस. का उल्लेख किया जहां अक्टूबर में सरकार द्वारा वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के बाद भी महिलाएं 225 रुपये व 110 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रही हैं।

श्रम संगठनों में भागेदारी के बारे में उन्होंने कहा कि सीटू का एक अलग विंग खुल जाने के बाद श्रम संगठनों के रुख में कुछ अन्तर नजर आ रहा है। सरकार से लेकर एन.जी.ओ. तक सभी के रुख में परिवर्तन आवश्यक है।

एटक की पार्वती कृष्णन न्यूनतम वेतन न मिलने के बारे में बोलीं व उन्होंने सरकार की निर्यात नीति के कारण कोयम्बटूर में होजरी में व्याप्त खराब स्थितियों के बारे में बताया। अनेक महिलाओं को गर्भावस्था लाभ प्रदान नहीं किया जाता।

इंटक की विजय लक्ष्मी ने कहा कि समान वेतन की निगरानी के लिए सरकार की महिला इंस्पेक्टर होनी चाहिए। वर्षों पहले एक सलाहकार समिति बनी थी लेकिन उसकी कोई बैठक नहीं हुई। महिलाओं के लिए कोई रोजगार सुरक्षा नहीं है।

एच.एम.एस. की इन्दिरा सक्सेना ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की आलोचना की। त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में भी महिलाओं के प्रश्न को नहीं उठाया गया। यदि वर्तमान नीतियां लागू होती हैं तो महिलाओं के लिए समस्या होना अवश्यंभावी है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों व बागानों में कार्यरत महिलाओं की उपेक्षा की बात कही। उन्होंने मांग की कि महिलाओं के विभिन्न संगठनों व श्रम संगठनों का सम्मेलन बुलाकर महिलाओं के लिए रोजगार, शिक्षा व प्रशिक्षण के अवसरों में वृद्धि के बारे में एक निश्चित योजना तैयार करने की मांग की।

सम्मेलन के आखिरी दिन विभिन्न आर्थिक सुधारों के महिलाओं पर प्रभाव के बारे में चारों कार्य समूहों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट पेश की। अन्त में सुश्री मीरा सेठ, सुश्री जयन्ती पटनायक, श्री ई. मेन्रे व अन्य लोगों के लोगों के समापन भाषण के बाद अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व राष्ट्रीय महिला आयोग के धन्यवाद प्रस्ताव के बाद अन्तिम सत्र समाप्त हुआ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सरकार की आर्थिक नीतियों के औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभावों को समझने में कार्यशाला से मदद मिली। श्रम संगठनों की भागेदारी से पता चला कि वे भी आर्थिक सुधारों के बारे में चिन्तित हैं। सबको मिलकर इन नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। यदि संगठित क्षेत्र के वर्तमान रोजगार अवसरों को बढ़ाना है वेतन व अन्य सुविधाओं को प्राप्त करना है तो सब को मिलकर संघर्ष करना होगा।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 15, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

कामगार महिलाओं का आंध्रप्रदेश राज्य सम्मेलन

14-15 फरवरी, 1993 को पी. सुन्दरया विज्ञान केन्द्रम में कामगार महिलाओं का तीसरा आंध्र प्रदेश राज्य सम्मेलन हुआ। 4 जिलों से 77 महिलाएं सम्मेलन में आयीं। वे 26 उद्योगों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। इनमें विश्व-विद्यालय की प्राध्यापिकाएं, एल. आई. सी., बैंक-कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र की कर्मचारी, बीड़ी मजदूर, फार्मास्यूटिकल उद्योग व आंगनवाड़ी महिलाएं शामिल थीं।

14-2-93 को 10.00 बजे आंध्रप्रदेश राज्य समिति की महासचिव कॉ. नन्दुरी प्रसाद राव द्वारा ध्वजारोहण करने के बाद सम्मेलन आरंभ हुआ। शहर समन्वय समिति की संयोजक व स्वागत समिति की चेयरमैन कॉ. वी. सरोजा ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। कार्रवाई का संचालन एक अध्यक्षमंडल ने किया जिसमें कॉ. हेमलता, विजय लक्ष्मी व सरोजिनी चुनी गयीं थीं।

सम्मेलन निम्नलिखित साथियों के निधन पर शोक प्रस्ताव पास किये गये जिन्होंने मेहनतकश वर्ग के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया—कॉ. पी. सुन्दरैया, कॉ. बी. टी. रणदिवे, पी. राममूर्ति, बासवपुनैया, जानकी अम्माल, गिरिजा पोट्टी। इसके अलावा पुलिस, सांप्रदायिक तत्वों व नक्सलवादियों के हमलों में शहीद हुए साथियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

सीटू की राज्य समिति की सचिव कॉ. वी. श्रीहरि ने नयी आर्थिक व औद्योगिक नीति के महिलाओं पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं व महंगाई के कारण केवल पुरुष की आमदनी काफी नहीं रह गयी है। अतः अधिक से अधिक महिलाएं रोजगार के लिए आ रही हैं। लेकिन सरकार जनता की खुशहाली की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। वह कहती है कि उसका काम शासन करना है कि देखभाल करना। पहले सरकार विभिन्न कल्याण योजनाओं की घोषणा करती थी हालांकि उनमें से अधिकतर का ढंग से कार्यान्वयन नहीं होता था। अपने इसी रवैये के चलते वह उद्योगों को निजी हाथों में सौंप रही है जिनका एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है। वह तर्क दे रही है कि उद्योगपतियों के माध्यम से लाभ गरीब वर्ग तक पहुंचेगा। इसी नीति के कारण कृषि, हथकरघा व मछली पालन जैसे असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत महिलाओं के रोजगार छिन रहे हैं। नयी तकनीक के आने के कारण टेलीफोन ऑपरेटर व स्वागत अधिकारी के रूप में कार्यरत महिलाओं के रोजगार छिन रहे हैं। कृषि क्षेत्र में भी नयी तकनीक आने के कारण महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है तथा उन्हें केवल पति की आय पर निर्भर रहना पड़ता है।

ए. आई. डब्ल्यू. डब्ल्यू. सी. सी. की महासचिव कॉ. विमल रणदिवे ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि कामगार महिलाओं पर इन नीतियों के विपरीत प्रभाव के कारण अन्य श्रम संगठन भी इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में इस बारे में एक सम्मेलन हुआ जिसमें श्रम राज्य मंत्री श्री पी.ए. संगमा, राष्ट्रीयम महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती जयन्ती पटनायक व इंटक समेत केन्द्रीय श्रम संगठनों ने भाग लिया। जब सबकी राय ली गयी तो अधिकतर लोग इन नीतियों के खिलाफ पाये गये। केवल श्री संगमा व सरकारी अधिकारी इन नीतियों के समर्थन में थे। सीटू महिलाओं के मुद्दों को उठा रही है व उन्हें संगठित कर रही है। इसके अतिरिक्त इन नीतियों के विरोध के लिए विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाने में सीटू ने अग्रणी भूमिका अदा की। कॉ० विमल रणदिवे ने सांप्रदायिकता के खतरे के प्रति भी चेतावनी दी। सांप्रदायिक तत्व महिलाओं के रोजगार में आने का विरोध करते हैं व कहते हैं कि इससे परिवारों का विघटन होगा। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता विरोधी संघर्ष में महिलाओं को और ताकतों का साथ देना चाहिए।

आंध्र प्रदेश समन्वय समिति की संयोजक कॉ. पुण्यवती ने रिपोर्ट रखी। हालांकि समन्वय समिति समन्वित ढंग से काम नहीं कर पायी लेकिन विभिन्न भागों में महिलाओं के बीच काम हो रहा है। आंगनवाड़ी यूनियन का गठन इसी काम का परिणाम है। उन्होंने 'कामकाजी महिला', 'वायस ऑफ द वर्किंग वोमेन', तथा 'कामिक लोकम' की बिक्री बढ़ाने की अपील की।

रिपोर्ट पर हुए विचार विमर्श में 16 प्रतिनिधियों ने

[शेष पृष्ठ 12 पर]

बम्बई में सांप्रदायिक दंगे–भांडुप

सुगन्धी फ्रांसिस

6 दिसंबर की अयोध्या घटना के बाद जो दंगे बंबई में हुए उसमें भांडुप में भी कोई कमी नहीं रही। मेरा लोगों के साथ संपर्क रहा। इस दौरान जो दंगा भांडुप में हुआ वह ज्यादातर शिवसेना से संबंधित गुंडों ने ही किया है। वह भी 12 वर्ष के बच्चों से लेकर 22-25 वर्ष के अंदर वाले लड़कों ने किया। इनके पीछे शिवसेना और उनके शाखा प्रमुखों का हाथ था। हमारे भांडुप इलाके में जमील नगर, प्रताप नगर, कोकण नगर, गांवदेवी, गुरखा चाल, जंगल-मंगल रोड जैसे कई विभागों और बस्तियों पर इन गुंडों ने मुस्लिम लोगों के घरों को चुन-चुन कर तोड़-फोड़ डाला या जला डाला। घर के छोटे-छोटे सामानों को लूट कर ले गये और बड़े-बड़े सामानों को जला दिया।

'जमीला कयूम' गांवदेवी में रहने वाली औरत हैं। यहां उसके सास की चालें (Rooms) हैं, मगर उन घरों में रहने वालों से इस औरत का अच्छा संबंध रहता था। लेकिन इस दंगे में उसका घर भी लूट कर जला दिया गया। जमीला का कहना है कि शिवसेना के गुंडों ने ही मेरा घर लूँटा और फिर जला दिया, साथ में उसकी ननद का घर भी, लेकिन जमीला ऐसी हिम्मत वाली औरत है कि वह फिर से अपने घर की मरम्मत करवा रही है और वहां पर रहने के लिए जाने वाली है। उसका कहना कि शिवसेना के गुंडों का यह गुंडा राज कितने दिन चलेगा यह भी देखेंगे।

भांडुप में कुछ लड़के हैं जिनका शिवसेना से संबंध नहीं है मगर उन लोगों ने भी लूटपाट की और दुकानें जलायीं। ये लड़के तमिल, मल्यालम, आंध्रप्रदेश और कन्नड के थे और इनमें ज्यादातर क्रिश्चियन धर्म के लोग थे मगर इन लोगों ने भी यह काम किया। मैंने खुद एक घड़ी की दुकान को तोड़ने से बचाया। जब मैं बीच में गई और पूछा कि क्यों तोड़ रहे हो? इसकी दुकान ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तो उन लोगों का कहना था कि ये मुस्लिम लोग जब पाकिस्तान क्रिकेट में या किसी खेल में जीतता है तो ये लोग पटाखे फोड़ते हैं, इसलिए हम इसकी दुकान तोड़ेंगे, मेरे बहुत कहने पर, उनके साथ झगड़ा करने पर उन्होंने उस दुकान को छोड़ दिया लेकिन बाकी दुकानों पर वे लूटपाट-तोड़फोड़ और आगजनी करते रहे।

मैंने खुद देखा है कि जब मेरे एरिया में दंगे की शुरुआत हुई, उस वक्त पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने उस समय उस तोड़फोड़ और दंगे को रोकने की कोशिश तक नहीं की। इन लड़कों को यह मालूम था कि पुलिस हमारा कुछ भी नहीं करेगी। इस हिम्मत से उन लड़कों ने दंगा किया। जैसा कि मेरा यह कहना है कि हमारे एरिया में हिंदू-मुस्लिम झगड़े का कोई कारण नहीं था। 'सिर्फ लूटना' वही एक मुद्दा उन लड़कों की नजर में था।

बम्बई और भांडुप में भी जब हमने देखा किसी सिवसेना के लीडर या गुण्डे को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरोध में मोर्चा निकालने में महिलाओं ने खासकर काम किया। वह भी सिर्फ मराठी महिलाओं ने। लड़कों को दंगे के लिए उत्तेजित करने में महिलाओं का भी सह-भाग था।

भांडुप में सोनापुर और पठान कालोनी इन दो जगहों पर रिलीफ कैंप थे। इस रिलीफ में खासकर सी. आय. टी. यू. भांडुप सेंटर ने अच्छी मदद की। बाहर से सामान जमा करके दंगाग्रस्त लोगों को दिलवाया गया। 6 दिसंबर से लेकर जनवरी दंगे तक दिन-रात भांडुप ऑफिस खुला रखकर सीटू के लोग काम करते थे। लोगों को सरकारी मदद, कलेक्टर का रुपया इ० दिलवाना यह काम अभी भी मार्च महीने तक जारी है। सोनापुर रिलीफ कैंप में अभी भी सामान भेजा जा रहा है। दिसंबर में पठान कालोनी रिलीफ कैंप में 2000 लोग रहे थे, वहां पर मेडिकल कैंप रखा गया। उस कैंप में के.इ.एम. (KEM) अस्पताल और सायन (SION) अस्पताल के डाक्टर्स आये थे। इस आयोजन में सीटू, डी.वाय.एफ.आइ., जनवादी महिला संगठनों ने मदद की। विक्रोली-पार्कसाइट में भी भांडुप आफिस से मदद की गई। खासकर महिलाओं के लिये उपयोगी चीजों को सोनापुर और पार्क साइट में बांटा गया। इस वजह से

महिलाओं में जाने का मौका भी मिला और उनसे संपर्क करने का भी। मगर कहीं-कहीं पर यह भी देखा गया कि हिंदू-मुस्लिम महिलायें अब भी साथ-साथ हमारे पास आई हैं—एक दूसरे की मदद के लिए। पार्क साइट-विक्रोली में सुरेखा और जैबुन्निसा आज भी एक साथ ही रहते हैं, घूमते हैं। मुमताज नाम की लड़की उसके पति और एक एक बच्ची के साथ वाकोला-गोलीबार एरिया में रहती थी। वह 11 महीने की डिपाजिट पर एक महाराष्ट्रियन आदमी के घर में बतौर किरायेदार रहती थी। इस दंगे में उसके सब सामान को शिवसेना के गुंडे लूट कर ले गये। उसका कहना था कि दीदी, मेरे घर का सामान 50-60 हजार की सोने की चीजें, कपड़े, पेटियां सब कुछ ले गये। इन लोगों ने हमें तो नहीं मारा मगर सामान सब गया। घर नहीं जलाया क्योंकि वह हिंदू का था और उस बस्ती में एक मुस्लिम को छोड़कर सभी मराठी भाषी और हिंदू लोग ही थे। फरवरी में जब मुमताज और उसकी मां बचा हुआ सामान और घर मालिक से डिपाजिट का 10,000/- रुपया लेने गए उस वक्त फिर से करीब 150 लोग जमा हो गये उन मां-बेटी को मारने के लिए। जब उन्होंने देखा कि ये लोग हमें मार डालेंगे तब यह दोनों टैक्सी में भागकर फिर विक्रोली-पार्क साइट आ गई। वहां पर उन्होंने जनवादी महिला संघठना की कार्यकर्त्ता जैबुन्निसा से सम्पर्क किया। तब हमने उस घर के मालिक से कहा कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तब वह आकर मिला और 10,000/- रु० देने को तैयार हुआ, हम जाकर उसका सामान भी खाली करके ले आये। लेकिन मेरे साथ जैबुन्निसा, मुमताज आने से डर रही थी इसलिये सिर्फ मैं और घर मालिक, उसके दो भाई थे। हम गये और सामान लेकर आये।

भांडुप में रहमान नाम का एक लड़का रहता है। वह सभी लड़कों का दोस्त था इसलिए उसका किसी ने नहीं तोड़ा। मगर 6-7 महिलायें हम शिवसेना की हैं—यह कहकर उसका घर तोड़ने आई मगर वहां के रहने वाले लड़कों ने उसे बचाया फिर यह महिलायें वापस गई।

शिवसेना की औरतों से जब हमने पूछा कि इस दंगे के बारे में या अयोध्या के मस्जिद के तोड़ने के बारे में आप लोगों की क्या राय है? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि यह हिंदुस्तान तो हमारा देश है। यह देश तो हिंदुओं का है। मस्जिद की जगह हमारे राम जी का मंदिर था। फिर अगर उस मस्जिद को तोड़ दिया तो क्या हुआ।

जहां तक मैंने खुद देखा या सुना है, बंबई के इस दंगे में पुलिस भी हिंदू गुंडों के साथ रही है, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों का कहना है कि पुलिस ने जान-बूझकर गोलियां चलाईं जिससे लोगों की मौत हुई है। कई लोगों का कहना था कि पुलिस ने पूरा हिंदू लोगों का साथ दिया। अगर मुस्लिम लोग चौकी पर लोगों को मिलने जाते तो पुलिस कहती कि जाओ बड़े साहब से चिट्ठी लेकर आओ। यदि हिंदू लोग जाते तो उन्हें अपने लोगों को खाना देते या मिलने को जाने देते थे।

इन सब वारदातों के बाद अब कुछ लोग रिलीफ कैंप से अपने-अपने घरों में जाकर रह रहे हैं। मगर कुछ लोगों का कहना है कि अब हमारा उस एरिया से या वहां के लोगों पर का विश्वास उठ गया है। हम वैसे वहां नहीं जाना चाहते।

[पृष्ठ 10 का शेष]

भाग लिया। हमाली कामगारों ने बताया कि किस प्रकार उन्हें मालिकों के घर में 5-6 घण्टे लगातार काम करना पड़ता है और मार्केट यार्ड में भी काम करना होता है।

आंध्र प्रदेश महिला संगम की अध्यक्षा कॉ० एम० स्वराज्यम व सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लेंग्वेज की श्रीमती सोन्या गुप्ता ने भी अपना समर्थन व सहयोग व्यक्त किया।

राज्य सीटू के अध्यक्ष कॉ० परसा सत्यनारायण ने सरकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में लोगों को एकजुट करने में सीटू की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग के एक अंग के रूप में महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिये।

सम्मेलन के नयी आर्थिक नीति, सांप्रदायिकता, अरक के खिलाफ अध्यापिकाओं व बीड़ी मजदूरों की समस्याओं के बारे में प्रस्ताव पास किये गये।

एक 12 सदस्यीय नयी समन्वय समिति का भी चुनाव किया गया जिसमें कॉ० हेमलता को सचिव चुना गया।

कॉ० विमल रणदिवे ने दो दिन की कार्रवाई का ब्यौरा लिया व कहा कि हालांकि महिलाओं ने उत्साह के साथ सम्मेलन में भाग लिया लेकिन अभी उनमें आगे आकर बोलने में झिझक है। हमें कॉ० पी० सुन्दरैया व कॉ० बी० टी० रणदिवे के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने जीवन भर मेहनतकश वर्ग के हितों के लिए संघर्ष किया।

यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस में महिला कर्मचारियों को तंग किया जाना

हमें विभिन्न क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों की प्रतिनिधि के रूप में यह जानकारी मिली है कि डी.ओ. VI, यूनाइटिड इंडिया, मद्रास, में कार्यरत दो कर्मचारियों—एक महिला कर्मचारी तथा एक अन्य श्रमिक प्रतिनिधि को निलम्बन आदेश मिले हैं।

इन दोनों कर्मचारियों का निलम्बन आधारहीन कारणों से हुआ है। एक पर आरोप है कि उसने कथित रूप से सिर हिला कर काम करने से इन्कार किया व दूसरे पर आरोप है कि उसने पहली कर्मचारी को काम न करने के लिए उकसाया। पता चला है कि अन्य तीन पुरुष टंकको के उपलब्ध होने के बावजूद वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा महिला कर्मचारी को तंग किया जाता था। वह महिला को काम के बहाने से बार-बार अपने केबिन में बुलाकर उससे व्यर्थ की बातें किया करते थे, जो कि अशिष्टता का उदाहरण है। जब महिला के लिए इस स्थिति को बर्दाश्त करना संभव नहीं रहा तो उसने इस उम्मीद के साथ सहायक जनरल मैनेजर, मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय को शिकायत की कि इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे। लेकिन सुश्री विद्यागणेशन की भावनाओं को समझने के बजाय जनरल मैनेजर ने शिकायत पर विपरीत कार्रवाई की। उन्होंने न केवल खुले पत्र में उसका उत्तर दिया बल्कि उलटे महिला को ही चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसी गतिविधियों में न उलझे। इस प्रकार उन्होंने दोषी अधिकारी को दो प्रोत्साहन प्रदान किया।

सहायक जनरल मैनेजर तथा वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक ने इस शिकायत को चुनौती के रूप में लिया। यह बात इन दोनों कर्मचारियों को अनुशासन के नाम पर निलम्बन आदेश देने से स्पष्ट हो गयी यह महज संयोग नहीं है कि इन कर्मचारियों के खिलाफ निलम्बन आदेश सुश्री गणेशन की शिकायत को एकतरफा तरीके से निपटा देने के बाद दिए गए। उन पर लगाये गए आरोपों से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि इन दोनों अधिकारियों की इस मामले में मिलीभगत है तथा उन्होंने दुर्भावनावश दोनों कर्मचारियों को आधारहीन कारणों से निलम्बित किया जो कि महज शक्ति का दुरुपयोग है।

विभिन्न कार्यशालाओं व पर्चों के द्वारा एच.आर.डी. की जिस अवधारणा का विकास किया जा रहा है वह यहाँ अर्थहीन लगती है। एक ओर आपका प्रशासन मानव सम्मान, उपयुक्त कार्यस्थितियों, उचित माहौल, अपनेपन व खुलेपन की बात कर रहा है वहीं दूसरी ओर आपके कुछ अधिकारी कर्मचारियों को आतंकित करने की नीति अपना रहे हैं। केन्द्र व राज्य सरकारों को यह घोषित नीति है कि, महिलाओं के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाए, उनके लिए काम का बेहतर माहौल तैयार किया जाये व उनके उत्थान के लिए उपाय किये जायें। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी है। हमें लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंश में ऐसी अवधारणाओं का पालन कम तथा उल्लंघन ज्यादा होता है।

हम यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस के मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय के इस रवैये की भर्त्सना करते हैं कि उसने जरा से बहाने पर कर्मचारियों विशेषकर महिलाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। हम आपकी चुप्पी को समझने में असमर्थ हैं, खासकर जबकि श्रम संगठनों ने आपके हस्तक्षेप की मांग की है।

आपके प्रबंधकों द्वारा महिला कर्मचारियों की समन्वय समिति द्वारा काम का बेहतर माहौल बनाने के लिए क्रेच की सुविधा प्रदान करने की मांग पर अपनाया गया रवैया तथा केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार महिला अधिकारियों की नियुक्ति में देर किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

हम आपसे अपील करते हैं आप इन कर्मचारियों के निलम्बन आदेश वापस लेने के आदेश जारी करें तथा महिला कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के साथ ही साथ दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। हमें इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि आप उद्योग में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कदम उठाने में हिचकिचायेंगे नहीं तथा व्यापक हित में हमारा आपको पूरा सहयोग है।

धन्यवाद तथा उपयुक्त कार्रवाई की प्रतीक्षा सहित,

भवदीय,

मैथिली शिवरामन (संयोजक)

भारत में बालिकाएं—एक सर्वेक्षण

—विनीता शंकर

अधिकतर देशों में, खासकर भारत जैसे विकासशील, परम्पराबद्ध व गरीब देशों में लिंग का मुद्दा बहुत व्यापक है तथा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। लड़कियों की जीवनगाथा की शुरुआत ही गलत तरीके से ही होती है। अवांछित बच्चा होने के कारण उनका जीवन वंचना से आरंभ होता है तथा यह स्थिति सारी जिन्दगी चलती है। असमानता की इस स्थिति का परिणाम देश में महिलाओं की स्थिति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

ऐसा नहीं है कि भारत में इस स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या कि इसे बदलने के प्रयास नहीं किए गये हैं। बेशक, दुनिया भर में महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए विश्व स्तर पर किये गये प्रयासों में भारत भी शरीक रहा है। उसने संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा 1989 में पारित 'बच्चों के अधिकार' विषयक सम्मेलन को स्वीकृत किया है। सम्मेलन की वरीयता समानता और बच्चों में भेदभाव समाप्त करना है। भारत में 'बच्चों की सुरक्षा और विकास' विषयक विश्व घोषणापत्र में भागीदार है तथा 'घोषणा-पत्र के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना' में भी शामिल है, जिसे 1990 में न्यूयॉर्क में हुए बच्चों पर विश्व शिखर सम्मेलन में तैयार किया गया था।

"विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागेदारी तथा समाज में उन्हें समानता का दर्जा प्रदान करने के प्रयास बालिकाओं के स्तर पर आरंभ होने चाहिए। बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा व अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाने चाहिये ताकि उनका समुचित विकास हो सके। इस प्रकार बच्चों की सुरक्षा व विकास के 1990 के घोषणापत्र के कार्यान्वयन की कार्य योजना जारी है।

इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने छः अन्य सार्क देशों के साथ 1991-2000 ई० को बालिका दशक घोषित किया। उसने सितम्बर, 1992 में कोलम्बो में हुए दूसरे सार्क शिखर सम्मेलन में विश्व घोषणा-पत्र के बारे में अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की जिसे अन्य देशों ने भी स्वीकार कर लिया। हालांकि इस कार्य योजना में बालिकाओं को बालकों के व्यापक समूह के एक अंग के ही रूप में रखा गया है लेकिन इसमें इस बात खयाल रखा गया है कि बालिकाओं की स्थिति विशेष रूप से शोचनीय है तथा उनकी शिक्षा एवं विकास पर विशेष बल दिया गया है।

बालिकाओं को जीवन संभाव्यता

भारत में प्रतिवर्ष लगभग 120 लाख बालिकाओं का जन्म होता है और इस प्रकार दुनिया में बालिकाओं की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। इनमें से लगभग 15 लाख बालिकाएं एक वर्ष तक जीवित नहीं रह पातीं। अगले पांच वर्ष में 850.000 बालिकाओं की असमय मृत्यु हो जाती है। 15 वर्ष बाद इनमें से केवल 90 लाख बालिकाएं जीवित बचती हैं।

बालिकाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सार्क बालिका दशक के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की। हालांकि बालिकाओं की विशेष आवश्यकताएं तथा बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित नियम राष्ट्रीय कार्ययोजना के व्यापक हितों के समान हैं लेकिन फिर भी उसमें बालिकाओं की स्वास्थ्य, पोषण, रोगों की रोकथाम संबंधी सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं व उन्हें समान दर्जा दिलाने के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखता है।

लिंग अनुपात-1901-91
(महिलाएं प्रति हजार पुरुष)

वर्ष	लिंग अनुपात
1901	972
1921	995
1941	945
1961	941
1981	933
1991	929

(स्रोत : यूनिसेफ, सार्क)

1984 में अकेले बम्बई शहर में 40,000 बालिका भ्रूण नष्ट किये गये; इनमें से 16,000 केवल एक ही क्लीनिक में नष्ट किए गये; एक विशेष अस्पताल में 8000 भ्रूण नष्ट किये गये इनमें से एक बालक भ्रूण था।

साथ ही लड़कियों के लिए कार्य योजना में विशेष लक्ष्यों में कुछ और बातें जोड़ी गयी हैं जो लिंग-भेद की स्थिति को दूर करने की आवश्यकता को प्रतिबिम्बित करती हैं। इनमें से एक है, 1995 तक बालिका भ्रूण हत्या व बालिका शिशु हत्या को समाप्त करना। जिस दूसरे क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है वह है शिक्षा। विभिन्नीकृत उच्च शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराया जा सके।

आम राष्ट्रीय कार्य योजना के ही समान बालिका शिशु कार्ययोजना भी अत्यंत व्यापक है और इसीलिए कुछ अयथार्थवादी लगती है। हालांकि इस कार्ययोजना में ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिनमें उसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत सहायता की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन उसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई कम या अधिक अवधि की नीति नहीं रखी गयी है। इसी प्रकार जहाँ एक ओर इसमें बालिकाओं व महिलाओं के विकास के लिए विशेष संसाधनों की आवश्यकता की बात कही गयी है तथा निजी व बाहरी स्रोतों के विकास की बात भी कही गयी है लेकिन इसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तथा आवश्यक बजट सहायता प्रदान नहीं की जाती तो भारत बालिकाओं को बेहतर जीवन स्थितियाँ उपलब्ध कराने तथा महिलाओं को समाज में समानता का दर्जा दिलाने की प्रक्रिया को आरंभ करने से बहुत पीछे रहेगा।

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण शिविर में भारी अव्यवस्था

सहारनपुर—सी. आई. टी. यू. का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें कॉ. तिलकराज भाटिया (जिलाध्यक्ष) संयुक्त मन्त्री कॉ. हरीहर पाण्डे एवं कॉ. महेन्द्रपाल ने प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाली महिला कार्यकत्रियों से भेंट कर जानकारी प्राप्त की कि उक्त शिविर का आयोजन विभाग द्वारा चन्द्र नगर आंगनवाड़ी सेवा सेन्टर में दिनांक 11 जनवरी 93 से 28 जनवरी 93 तक किया गया है। संचालन की जिम्मेदारी श्रीमती अर्चना गर्ग को सौंपी गई थी। शिविर में नकुड़ ब्लाक से 26 तथा नागल ब्लाक से 30 कार्यत्रियों ने भाग लिया। पूरे सत्र में मात्र एक लेक्चरार की व्यवस्था वह भी केवल 3-4 घंटे के लिए रही। बाकी दिनों शिविर में कोई भी अध्यापक न होने के कारण प्रशिक्षार्थियों का समय ही बर्बाद हुआ। शिविर की दुर्दशा का इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि शिविर में शामिल महिला कार्यकत्रियों के लिए भी खाना-पानी-बिजली व्यवस्था तथा सोने के लिए स्थान, कम्बल, बिस्तर आदि की व्यवस्था नहीं थी तथा उक्त के अलावा मोमबत्ती तक की व्यवस्था प्रशिक्षार्थियों को स्वयं करनी पड़ी तथा आने-जाने का किराया भी उन्हें स्वयं वहन करना पड़ा। जबकि शिविर में आने-जाने का किराया, खाना, ठहरने की पूरी व्यवस्था प्रकाश व पीने के पानी की व्यवस्था विभाग द्वारा की जानी थी। इस प्रकार शिविर के नाम पर अधिकारियों द्वारा किये गए धन व समय के दुरुपयोग की सी. आई. टी.यू. घोर निन्दा करती है तथा राज्य सरकार से मांग करती है कि कार्यकत्रियों को शिविर में भाग लेने के लिए विभाग द्वारा दी जाने वाली समस्त सुविधाओं का भुगतान अतिशीघ्र किया जाये। यह भी जानकारी मिली है कि शिविर की व्यवस्था से क्षुब्ध होकर लगभग 50 महिला कार्यकत्रियों ने शिविर समाप्ति के तुरन्त बाद 28-1-93 को सायं जिला मुख्यालय पर धरना दिया और जिलाधिकारी महोदय से मांग की कि वे तुरन्त हस्तक्षेप कर आने-जाने का किराया तथा शिविर सुविधा खर्चा दिलायें। जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर कार्यकत्रियों को आश्वासन दिया कि उनको शीघ्र भुगतान कराया जायेगा, तभी धरना समाप्त हुआ। शिविर में नकुड़ ब्लाक से बबीता, कान्ती, सुमन, पूनम, सुनीता शर्मा, सुनीता देवी, देवकी, कमलेश, सरस्वतति, कमलेश बैरागी, सुषमा, भानमति, कमलेश शर्मा, संयोगिता, बिन्देश, मन्जु तथा नागल ब्लाक से सरला शर्मा, रजिया सुल्तान, सन्तोष त्यागी, सन्तोष तायल, सन्तोष गुप्ता, मनजीत कौर, सरोज वर्मा, मंगना, शारदा, पदमा कपिल, ऊषा गुप्ता, सरमिष्ठा देवी, मधुबाला, सरोज सैनी आदि कार्यकत्री शामिल हुईं।

बालिका शिशु हत्या रोकने को 'पालने' ही काफी नहीं

—रशीदा भगत

मद्रास—अनेक बालिका शिशु इन इलाकों में अपनी आँखें केवल कुछ घण्टों के लिए ही खोलते हैं। वे मां के गर्भ के अनुभव से मुश्किल से बाहर निकल पाये होते हैं कि उनकी वापसी यात्रा आरंभ हो जाती है। सालेम में स्थानीय विशेषज्ञ के हाथों उनकी हत्या की जाती है।

बच्चे की माता, जो कि स्वयं भी इसमें शामिल होती है, प्रायः एक कोने में रो रही होती है और बच्चा दूसरी ओर दम तोड़ रहा होता है। सालेम जिले का दौरा करने वाले एक स्वास्थ्य कर्मी के अनुसार शिशु हत्या का एक प्रभावी तरीका बच्चे को मोटे-गीले तौलिये में जोर से लपेट कर एक कोने में डाल देना है।

जब बच्चा जीने को संघर्ष कर रहा होता है तो सुबकती हुई मां को एक तरफ ले जाया जाता है ताकि वह मन न बदल ले।

लगभग एक घण्टे में जिन्दगी का यह संघर्ष समाप्त हो जाता है और जो रिश्तेदार सुबह बच्चे के जन्म के मौके पर आये थे, शाम को अन्तिम संस्कार में शामिल होते हैं। स्वास्थ्य कर्मी ने बताया।

तमिलनाडु के सालेम जिले में बड़े पैमाने पर शिशु-हत्या का मामला दो स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उठाए जाने के बाद तमिलनाडु सरकार ने इस जघन्य अपराध को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये। मुख्य मंत्री के नाम पर शुरू की गयी एक योजना के तहत दूसरी बच्ची के नाम से 2000 रु. फिक्स डिपॉजिट में जमा किये जाते हैं जिससे उसके 20 वर्ष की आयु पूरी करने पर 10,000 रुपये प्राप्त होंगे।

पिछले माह समाज कल्याण मंत्री इन्दिरा कुमारी ने अवांछित बालिकाओं के लिए 'पालना योजना' का उद्घाटन किया। सालेम के कलक्टर पी.ए. रमैया के अनुसार पिछले 25 दिनों 11 बच्चों को 'पालनों' में डाला गया है।

इस बीच छः लोगों को धारा 302 (हत्या) के तहत गिरफ्तार भी किया गया। 'हमने निगरानी बढ़ा दी है। हर बैठक में मैं शिशुहत्या, सरकारी योजना व सजा का ज़िक्र करता हूं।" उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस बात का प्रतिवाद नहीं करता कि शिशु हत्या अभी भी जारी है, लेकिन आप इससे सहमत होंगे कि यह सामाजिक बुराई है जो वर्षों से चली आ रही है तथा इसे एकदम से नहीं रोका जा सकता। इसमें छः माह से एक वर्ष तक बल्कि स्थायी प्रभाव छोड़ने में कई वर्ष लगेंगे।"

गांवों के संक्षिप्त सर्वेक्षण से पता चला कि गांव वाले 'पालना योजना' को स्वीकार करने के 'मूड' में नहीं हैं। कोन्कनपुरम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक कर्मचारी ने कहा कि 'अब तक पालना योजना पूरी तरह असफल रही है। इन इलाकों में जाति की भावना इतनी प्रबल है कि लोग अपने बच्चे को किसी और जाति के लोगों के साथ नहीं चलने देना चाहेंगे।"

लेकिन एक सकारात्मक बात यह रही है कि इस बारे में जागरूकता बढ़ने के बाद सही आंकड़े रखने की कोशिश की जा रही है तथा पी.एच.सी. स्टाफ को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि गर्भवती स्त्रियों व शिशु जन्म के सही आंकड़े रखें।

इन आंकड़ों से शिशुहत्या की गंभीर दर का पता चला है। यह दर राज्य के औसत 90 पर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 128.7 है। 1990 में 607 प्रजननों में से 91 की शिशु हत्या हो गयी। (25 लड़के व 66 लड़कियां) 55 मौतों में से केवल 9 लड़के थे व 46 लड़कियां थीं। 1992 में 432 में से 64 की शिशुहत्या हो गई (21 लड़के व 43 लड़कियां) व सामाजिक कारणों के अन्तर्गत आने वालों में 6 लड़कों के मुकाबले 34 लड़कियों की हत्या हुई। 1992 में अक्टूबर तक 782 में से 103 की शिशु हत्या हो गयी व इनमें से 80 प्रतिशत लड़कियां थीं।

सुन्दरमेटुर की पद्मा अपनी 30 माह की बेटी की ओर इशारा करते हुए बोली कि "जब पिछली बार मेरी फिर लड़की हुई तो मैं क्या करती मैं उसे बुढ़िया के पास ले गयी और सुला दिया।" उसके स्वर में कोई पश्चाताप

[शेष पृष्ठ 18 पर]

तमिलनाडु की राजनीति और मंत्रियों का एकतरफा रवैया

हम आशा करते थे कि अन्नाद्रमुक पार्टी सत्ता में आने के बाद तमिलनाडु में आई.सी.डी.एस. स्टाफ को सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। 13 महिला विधायक हैं। मुख्यमंत्री व समाज कल्याण मंत्री भी महिलाएं हैं। अतः हमने गर्व के साथ यह आशा की कि हमारा भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन असलियत कुछ और ही निकली 28-12-91 को मद्रास में हुए अपने सम्मेलन में हमने सम्मेलन में हमने मुख्य मंत्री इस शर्त पर आने को तैयार हुई कि निमन्त्रण-पत्र पर उनकी तस्वीर हो व उनके मनोनीत व्यक्तियों को ही बुलाया जाये। अपनी उम्मीद पूरी होने की आशा में हमने सभी शर्तें मान लीं इस अवपर मुख्य मंत्री ने निम्न चार मांगें स्वीकार कर लीं :

1. परिवार-नियोजन कार्य लिए कोई जबर्दस्ती नहीं होगी।
2. दोहरा पैनल-भुगतान नहीं होगा।
3. ऐसोसिएशन के नेता एम. पलानीनाथन व राममूर्ति के खिलाफ पिछली द्रमक सरकार द्वारा जारी किये गये निलम्बन-आदेश वापस लिए जायेंगे।
4. पोंगल उपहार 500/- रु. (पांच सौ रुपये मात्र)

सम्मेलन में उपस्थित सभी 25,000 कर्मचारी खुशी से झूम उठीं।

लेकिन मुख्य मंत्री ने कोई वादा पूरा नहीं किया। अतः मद्रास में 25-5-92 को नून-मील कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इससे भी सरकार के कान पर जूँ नहीं रेंगी। 15-9-92 को हमारे संगठन ने जेल भरो कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें अनेक कर्मचारियों खासकर 60 हजार महिलाओं ने भाग लिया। हमारी इस शांति से डरकर सरकार ने सप्ताह में दो दिन अवकाश तथा सेविकाओं/सहायिकाओं के वेतन में क्रमशः 100 रु. व 50 रु. की वृद्धि की घोषणा की।

लेकिन उनका बदला लेने का इरादा था। एक दिन समाज कल्याण मंत्री ने अचानक दौरा किया व सिर्फ मद्रास में 86 कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया। उसका विरोध किए जाने पर उन्हें वापस ले लिया गया।

बजट के अवसर पर हमारे संगठन ने अपने मांग-पत्र पर विचार-विमर्श की अनुमति चाही। 4.3.93 को समाज कल्याण मंत्री के साथ विचार-विमर्श की अनुमति दी गयी। इसके अगले दिन संगठन के उपाध्यक्ष राजेश्वरी मुरुगासन को आवश्यक काम से मद्रास में रहना पड़ा।

5.3.93 को मंत्री कोयम्बटूर चली गयीं। उन्होंने अचानक दौरा करके राजेश्वरी मुरुगासन को निराधार आरोपों पर बर्खास्त कर दिया।

आरोप यह थे कि केन्द्र में वर्तमान व भूतपूर्व मुख्य मंत्री के चित्र नहीं टंगे थे। इसके विरोध में यूनियन के सदस्यों ने कोयम्बटूर में कलेक्टरेट के समक्ष जबर्दस्त प्रदर्शन किया।

तमिलनाडु की मंत्री ऐसोसिएशन को कुचलने के प्रयास कर रही हैं। इसी कारण से राजेश्वरी मुरुगासन को मुअत्तल किया गया है। लेकिन राजनैतिक ताकत केवल 5 वर्ष की है जबकि यूनियन नेताओं की स्थिति अन्तिम सांस तक दृढ़ रहेगी।

इस घिनौनी राजनीति का अन्त कब होगा ?

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड कामगार महिलाओं का सम्मेलन

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड की महिला कामगारों का दूसरा राज्य सम्मेलन 12.2.1993 को तिरुमेलवेली में हुआ। तमिलनाडु के विभिन्न भागों से लगभग 240 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। इन 240 सदस्यों में इंटक व एटक जैसी यूनियनों के सदस्य शामिल हैं। राज्य संयोजक का. वी. देवी परमेश्वरी द्वारा रखी गयी रिपोर्ट पर 24 सदस्यों ने विचार प्रकट किये। कॉ. उमानाथ, पापा उमानाथ, मैथिली शिवरामन तथा डी. जानकीरमन ने सम्मेलन का अभिनंदन किया। संमेलन में एक संयोजक, एक उप संयोजक तथा एक 24 सदस्यीय राज्य समिति का चुनाव किया गया। लगभग 16 प्रस्ताव पास किये गये जिनमें से निम्नलिखत उल्लेखनीय हैं : टी. एन. ई. वी. में महिलाओं को 30 प्रतिशत रोजगार प्रदान करना, अलग शौचालय, आरामगृह व क्रेच आदि पर प्रस्ताव।

पुणे जिला आंगनवाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन

किरण मोघे

18 मार्च, 1993 को पुणे में आंगनवाणी कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। केन्द्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में की गयी वृद्धि के भुगतान के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालने के आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका संघ ने समाज कल्याण निदेशालय के दफ्तर पर जिला परिषद के दफ्तर पर प्रदर्शन की अपील की थी।

महिलाएं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आयीं, जिनमें खेड़, झूना, अंबगांव, बारावती व हवेली जिले से आयीं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं से भी महिलाएं आयीं। उन्होंने समाज सेविकाओं के नाम शोषण करने की सरकार की नीति की भर्त्सना की खुद को सरकारी कर्मचारियों के तौर पर नियमित किये जाने की मांग की।

1 मई, '92 को महाराष्ट्र सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के वेतन में क्रमश: 100 रु. व 75 रु. की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके साथ ही काम का एक घण्टा भी बढ़ा दिया गया व 0-14 वर्ष के बच्चों के संबंध में अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ भी सौंप दी गयीं।

राज्य सरकार अब दावा कर रही है कि वह वृद्धि 1 अक्टूबर, 1992 को घोषित वेतन-वृद्धि के साथ समायोजित की जायेगी। दूसरे शब्दों में राज्य सरकार सेविकाओं को केवल 25 रु. व 25 रु. का लाभ देगी।

18 मार्च को यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को सरकारी अधिकारियों ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा है। दरअसल मामले पर छः माह से विचार ही किया जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार अपने आपको प्रगतिशील बताती है लेकिन उसके इस शर्मनाक रवैये से पता चलता है कि वह किस प्रकार महिलाओं का शोषण कर रही है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर हर रोज नयी नयी जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं। हाल ही में उसे शैक्षिक कार्य भी सौंप दिया गया है।

संगठन ने सरकार के इस रवैये के विरुद्ध संघर्ष करने की घोषणा की है। पुणे के प्रदर्शन से हमारी शक्ति का पता लग चुका है। हमारे मांग-पत्र में निम्न बातें शामिल हैं :—

(क) सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति;

(ख) बोनस;

(ग) कार्यवश बाहर जाने पर टी. ए./डी. ए. दिया जाना;

(घ) अनुभवी सहायिकाओं की सेविकाओं के रूप में पदोन्नति;

(ङ) शहरी परियोजना में अस्थायी नियुक्तियाँ बन्द करना;

(च) मुअत्तली व तबादलों के बारे में स्पष्ट नियम बनाना।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अस्थायी नियुक्ति गलत है व किसी कर्मचारी को स्वयंसेवी होने के कारण मुअत्तल नहीं किया जा सकता।

इन माँगों पर जोर डालने के लिए एक राज्यस्तरीय प्रतिनिधिमंडल अप्रैल में मुख्यमंत्री से मिलेगा।

[पृष्ठ 16 का शेष]

नहीं था।

सेनापलयम की 19 वर्षीय मडामा इस बात से स्पष्ट इनकार करती हैं कि उनके गांव में बच्चों की हत्या होती है। अपने बच्चों की ओर इशारा करती हैं कि उसकी बहन व ननद दोनों ही गर्भवती हैं। बहन को तो यह पहला बच्चा है अतः उसके लिए तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। ननद की पहले एक लड़की है अगर उसकी दोबारा लड़की होती है तो पास के गांव में "पालने" में डाल देंगे।

"इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण ही इस बात का खतरा है कि कहीं 'पालना योजना' से समस्या और न बढ़े।" उड्तम करांगल के संस्थापक एस. विद्याकार का कहना है कि "उससे अधिक बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल सकता है। यदि लड़का हो तो उसे रखो अन्यथा उसे किसी और पर थोप दो।"

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड का सम्मेलन

तमिलनाडु विद्युत कर्मचारियों के केन्द्रीय संगठनों (सीटू) ने विद्युत बोर्ड की महिला कर्मचारियों को इकट्ठा करके चार वर्ष पहले कामगार महिला समन्वय समिति का गठन किया था।

अनेक जितावर सम्मेलन करने के बाद तमिलनाडु विद्युत बोर्ड की महिला कर्मचारियों का सम्मेलन 10.5.1990 को मदुरई में हुआ : इसमें 173 महिलाओं ने भाग लिया तथा अनेक फैसले किये। महिला कर्मचारियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण उनके लिए शौचालय व आराम गृहों की माँग उठायी गई।

इसका राज्यवार सम्मेलन 12.2.1993 को तिरुनेलवेली में हुआ। इसमें राज्य भर से विभिन्न यूनियनों यूनियनों की 240 से अधिक महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 27 प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में सक्रिय सहयोग देते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

समन्वय समिति की संयोजक का. मैंमिली शिवरामन ने अपने उद्घाटन भाषण में केन्द्र व राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने निर्गम नीति तथा सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंपने की आलोचना की।

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कुछ बिजली परियोजनाओं व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के निजीकरण की घोषणा की है, इससे बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ेगी व वर्तमान पदों पर नियुक्तियों में भी बाधा आयेगी।

सरकारी नौकरियों व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सबसे पहले महिलाओं पर ही गिरेगी।

सम्मेलन में एक 16 सूत्रीय मांग-पत्र भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। इनमें से कुछ मांगें निम्नलिखित हैं :

1. सरकारी सेवा की ही तरह बोर्ड में भी महिलाओं के 30 प्रतिशत आरक्षण का कड़ाई से पालन।

2. इच्छुक 'असेसर्स' को जूनियर असिस्टेंट या टाइपिस्ट में परिवर्तित करना।

3. 'असेसर्स' बरसातियों की आपूर्ति।

4. महिला कर्मचारियों के आश्रितों को भी धन वापसी, तबादला भत्ते, यात्रा छुट्टी छूट आदि की सुविधा प्रदान करना।

5. महिला ठेका कर्मचारियों को नियमित में करने में होने वाले भेद-भाव को समाप्त करना।

6. सरकारी सेवाओं की ही तरह माह में दो बार देर से आने की छूट।

7. प्रत्येक कार्यालय में क्रेच की सुविधा।

8. पति-पत्नी को एक ही स्थान पर काम दिया जाये।

9. जिन महिला कर्मचारियों का प्रशासनिक आधारों पर तबादला कर दिया गया उनको उनके निश्चित् स्थानों पर भेजा जाना।

10. प्रत्येक क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी खोली जाये व एक महिला चिकित्सक हो।

11. आदेश जारी करके महिलाओं दफ्तर के समय अतिरिक्त काम करने के लिए मजबूर न किया जाये।

12. 'ऑडिट' में कार्यरत महिलाओं के राज्य भर में तबादले की व्यवस्था।

13. कामगार महिलाओं की शिफ्ट ड्यूटी न लगाना।

14. अंतिम श्रेणी की सरकारी कर्मचारियों व सफाई वालों के वर्दी आदि रखने के लिए अलग कमरा।

15. इंजीनियर महिलाओं को पेंट-शर्ट की बजाय ओवर-कोट पहनने की अनुमति दी जाये व उन्हें पेंट-शर्ट पहनने के लिए मजबूर न किया जाये।

16. मृत महिला कर्मचारियों के उत्तराधिकारी को विद्युत बोर्ड में नौकरी दी जाये।

अपनी मांगों पर दबाव डालने के लिए 2.3.1993 को अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय व रेवेन्यू इकाइयों के समक्ष धरना देने का फैसला किया गया।

समन्वय समिति के आह्वान पर महिलाओं ने 2-3-993 को जबर्दस्त प्रदर्शन किये व राज्य भर में व्यापक प्रचार किया। मद्रास, मुख्यालय पर 500 से अधिक महिलाएं एकत्र हुईं व उन्होंने इन 16 मांगों के

[शेष पृष्ठ 21 पर]

बम्बई के सांप्रदायिक दंगों पर रपट

सोनिया गिल

बम्बई के इतिहास की जघन्यतम सांप्रदायिक हिंसा दिसम्बर, 1992 व जनवरी, 1993 के 40 दिनों में हुई। बाबरी मस्जिद ढहाये जाने पर कुछ मुस्लिमों की प्रतिक्रिया के जवाब में शिवसेना के सुनियोजित हमले ने इस हिंसा को जन्म दिया। इस दौरान बम्बई पुलिस ने उदासीनता का रवैया अपनाया तथा दंगाइयों को मुस्लिमों को लूटने का पूरा मौका दिया व तथा मुस्लिमों की हिफ़ाजत करने से इन्कार कर दिया। अपनी आंतरिक गुटबाजी में उलझी कांग्रेस सरकार भी मूक दर्शक बनी रही तथा उसने 9-12 जनवरी के बीच शिव सेना को शहर पर नियंत्रण करने दिया।

"मदनपुर बायकला में लोगों को पूरा विश्वास था कि 6 दिसम्बर को कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें नरसिम्हा राव के इस आश्वासन पर पूरा भरोसा था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने दिया जायेगा।"—एक अध्यापक व पिछले कॉर्पोरेशन चुनावों में माकपा के उम्मीदवार रहे आस्मां मलिक याद करते हैं। लेकिन जब कारसेवकों की अबाध बर्बरता शुरू हुई तो सरकार की अकर्मण्यता बी. बी. सी. पर स्पष्ट हो गयी। इससे अल्पसंख्यक समुदाय में क्रोध उपजा। मुस्लिम युवकों ने इसके विरोध में पथराव किया व सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा दी। हालांकि कुछ हिन्दू मन्दिरों आदि को नुकसान पहुंचा लेकिन किसी हिन्दू व्यक्ति पर शायद ही कोई हमला हुआ हो।

पुलिस ने भौंचक्की होकर गोलीबारी शुरू कर दी जिसकी चपेट में बेकसूर लोग आ गये। गोवन्डी के पूर्वी जिले में एक जाने माने अपराधी ने एक सिपाही पर छुरा चलाया। इसके जवाब में पुलिस ने पागलों की तरह लोगों को घरों से निकाल कर उन पर गोलीबारी की व उन्हें पीटा। दिसम्बर की पुलिस गोलीबारी में 90% मुस्लिमों की मृत्यु हुई। असगर अली, इंजीनियर, के अनुसार जिस ढंग से लोग मारे गये उससे लगता है कि पुलिस का इरादा भीड़ को तितर-बितर करने का नहीं था बल्कि उनका लक्ष्य मुस्लिम थे।

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती—धारावी में भड़काने वाली कार्रवाई शिवसेना व हिन्दू मुनानी के विजय-मोर्चा से हुई। चेतावनी देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगले दिन मुस्लिम असमाजिक तत्वों ने पथराव व आगजनी की तथा पुलिस चौकी पर हमला किया। अगले चार दिन तक धारावी में हिन्दू व मुस्लिम गुटों के बीच पथराव हुआ। धारावी के मुकुन्द नगर में स्थानीय कोली समुदाय की 300 लोगों की भीड़ ने मुस्लिर रिहायशी इलाकों पर हमला किया। अनवरी बेगम व लुतिफांसिया के मकान लूट लिये गए व जला दिये गए। आजकल अनवरी बेगम के घर को शौचालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तथा उसे चेतावनी दी गयी है कि वह उस इलाके में न लौटे। उन्हें 28,000/- व 37,000/- रु के नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला है। लक्ष्मी बाग के अनेक लोग वापस नहीं लौटे हैं। उनके सामान लूट लिये गये हैं। लक्ष्मी बाग इलाके में ही 20 हिन्दुओं के मकान भी जला दिये गये। गरीब नगर में जनवादी महिला समिति की एक कार्यकर्ता ने हस्तक्षेप करके एक दंगे को टाला। उसने खम्बा देवी में 25-30 परिवारों को जलते हुए घरों में से निकाला।

दिसम्बर में दंगे बम्बई के 15-16 इलाकों में फैल गये। दिसम्बर, 7 के बाद मुस्लिमों के घरों व संपत्ति पर हमले किये गये। चन्दा बाजार में चमड़े का कारखाना व जरी की दुकानें तथा उनके मुस्लिम मालिकों के घर थे। चांदनी बाई के अनुसार 7 दिसम्बर को स्थानीय गुंडों के 200 लोगों के दल ने चुन-चुन कर मुस्लिम घरों पर हमला किया।

जब भी हिन्दू गुट हमला करते थे तो पुलिस या तो तो तटस्थ रहती थी या बचाव कर रहे मुस्लिमों पर गोली चलाती थी। आस्मां मालिक बताते हैं कि 8 व 9 दिसंबर को उनके घरों पर हमला हुआ और पुलिस चुपचाप देखती रही। इससे क्रुद्ध हुए लोग पुलिस से मोर्चा लेने को तैयार हो गये। हमें सैनिक सुरक्षा की आवश्यकता थी न कि पुलिस की।

जनवरी में जो हुआ वह तो लोगों की कल्पना से परे

था। हालांकि छत पर व चारों ओर पुलिस तैनात थी लेकिन हमारे ऊपर पत्थरों व कांच की टूटी शीशियों से हमला हुआ। ये शिव सेना के लोग थे। इस बीच इंस्पेक्टर व हवलदार हिले तक नहीं। जब किसी ने फायर ब्रिग्रेड को बुला लिया तो पुलिस ने उसे वापस कर दिया। जब तीन यूनिटें पूरी तरह नष्ट हो गयीं तो शिव सेना के लोग कर्फ्यू के बावजूद पास के एक मन्दिर पर जाकर नाचते गाते रहे और पुलिस देखती रही।

पूरे दिसम्बर के महीने में बम्बई में तनाव व्याप्त रहा। महा आरती के आह्वान से शिव सेना को शक्ति प्रदर्शन का एक मौका मिल गया। रोज छोटे-बड़े सभी मन्दिरों में महा आरतियां होती थीं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने लगा पर कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया शिव सेना के मुख पत्र 'सामना' व शाखाओं के प्रचार से हिन्दू में आशंका घर कर गयी थी मुस्लिम बदले का इन्तजार कर रहे हैं। जब जोगेश्वरी में चार हिन्दुओं सहित एक चाल जला दी गयी तो 'सामना' में प्रचार किया गया कि बम्बई के 'लघु पाकिस्तान' में हिन्दुओं का खून बहा है। (जनवरी, 9)

9 से 12 जनवरी के बीच शिव सेना के नेतृत्व में युवकों ने मुस्लिम समुदाय की झुग्गियों को जला दिया तथा उन पर पथराव व छुरेबाजी की। शानो सुब्रती शेख अपने चार बच्चों के साथ वहाँ से चली गयी। उसके बच्चों की उम्र 6 माह से 8 वर्ष तक थी। एक दिन पहले वहां गिरोहों द्वारा हमले किये गये थे। उसके पति उत्तर प्रदेश के एक टैसी ड्राइवर शेख फिदा हुसैन उस समय उसके पीछे ही थे जब उन्हें भीड़ ने घेर लिया। बाद में 21 जनवरी को उन्हें वर्ली पुलिस द्वारा यह सूचना मिली कि उनके पति का शव नाले के समीप पाया गया है। शानो उन 25000 से 30,000 लोगों में ही है जो शरण के लिए माधवपुरा पहुंचे। केवल इसी इलाके में आठ शरणार्थी शिविर लगाये गये थे। कर्फ्यू के बावजूद हमलावर गिरोह ट्रकों में हथियारों समेत घूम रहे थे। मदनपुरा शरणार्थी समिति केवल 3000 लोगों को राहत पहुंचाने में समर्थ थी जिन्होंने वर्ली की बी.डी.डी. इमारत में शरण ली थी।

हिंसा का दूसरा दौर 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी हमलों का ही दोहराव था। मतदाता सूचियों और लाइसेंस की सूचियों के आधार पर मुस्लिम लोगों की पहचान करके उन्हें लूटा गया व मुस्लिम प्रतिष्ठानों को नष्ट किया गया। हमलावर खुलेआम मुस्लिमों को खोज रहे थे। वी. टी. स्टेशन पर विभाजन के समय जैसा दृश्य उपस्थित हो गया था व लाखों लोग बम्बई छोड़कर अपने मातृप्रदेश में जाने के लिए निकल पड़े थे।

आजकल धाराकी में भुतहा सन्नाटा छाया हुआ है। वहाँ की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंसा के भय से वहाँ से भाग गया है।

उन 4-5 दिनों में बम्बई में दोनों समुदायों के बीच दूरी बहुत बढ़ गयी। लोग रात-रात भर मुस्लिम समुदाय के संभावित हमले की आशंका से निगरानी करते रहे और ट्रकों में हथियारों का सैलाब-सा आता रहा। लोग यह समझते थे कि शिव सेना उनकी रक्षा कर रही है। शिव सेना वालों ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों फल व सब्जियाँ उचित दामों पर बेचे व इस प्रकार लोगों को अपने ऊपर और निर्भर बना दिया।

हालांकि अब अनेक लोगों ने वापस आकर अपने मकान बनवाने आरंभ कर दिये हैं लेकिन अधिकतर लोग अपने घर आदि बेचकर मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रहे हैं। इस तरह के अलगाव से उनके बीच की दूरी और बढ़ेगी।

[पृष्ठ 19 का शेष]

समर्थन में अपनी आवाज उठाई।

इससे प्रोत्साहित होकर 4.3.1993 को 'कोरी' के आह्वान पर बड़ी संख्या में महिलाओं धरने में भाग लिया व वेतन-निर्धारण, समान वेतन, समान काम की माँग उठायी।

महिला कर्मचारियों की जागरूकता से न केवल उन्हें अपनी मांगें मनवाने में सहायता की बल्कि इससे मजदूर आंदोलन के 'समान' लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

समन्वय समिति की मांगों में से मांग सं. 3,5,7, 14 व 15 को विद्युत बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है व तुरन्त आदेश जारी करने की बात कही है।

प० बंगाल गणतांत्रिक महिला समिति का 20वां राज्य सम्मेलन

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प० बंगाल इकाई, गणतांत्रिक महिला समिति का 20वां राज्य सम्मेलन 27 से 29 मार्च तक कलकत्ता में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हाल में हुआ, जिसे अपर्णापाल चौधरी मंच का नाम दिया गया था। तीन दिन चले इस सम्मेलन की शुरुआत 27 मार्च को कलकत्ता में शहीद मीनार मैदान में विशाल आम सभा से हुई और समापन 29 मार्च की शाम कलकत्ता में कालेज स्क्वायर मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ।

शानदार रैली

'महिलाओं को अपने संघर्ष को नरसिंह राव की कांग्रेस (आई) सरकार के खिलाफ और हमारे देश के आर्थिक-राजनीतिक ताने-बाने में आइ.एम.एफ.-विश्व बैंक की घुसपैठ के खिलाफ केंद्रित करना चाहिए, ताकि अपने अधिकारों की हिफाजत कर सकें और अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष को आगे बढ़ा सकें।' यह संकल्प था सम्मेलन के मौके पर आयोजित विशाल रैली में शामिल हुई दसियों हजार महिलाओं का। रैली में शिरकत के जरिए उन्होंने एक कंठ से देश को गहरे-से-गहरे संकट में धकेलने वाली नीतियों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई, क्योंकि इस सबका समाज के दूसरे तबकों के साथ-साथ महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

गणतांत्रिक महिला समिति की अध्यक्ष, कनक मुखर्जी ने रैली की अध्यक्षता की और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव वृंदा कारात, संगठन की अखिल भारतीय अध्यक्ष सुशीला गोपालन, गणतांत्रिक महिला समिति की श्यामली गुप्त और बनानी विश्वास, छाया बेरा और कलकत्ता नगर निगम के महापौर प्रशांत चटर्जी ने रैली को सम्बोधित किया।

महिलाओं की मांगों के राजनीतिक स्वरूप को रेखांकित करने के साथ ही रैली ने यह भी रेखांकित किया कि महिलाएं अकेले लड़कर अपनी मांगें हासिल नहीं कर सकती हैं। जनवादी महिला समिति की महासचिव वृंदा कारात ने अपने भाषण में भाजपा-आर.एस.एस. के नेतृत्व में सांप्रदायिकता की बढ़ती लहर के खतरों की ओर भी ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि किस तरह भोपाल, अहमदाबाद, सूरत तथा अन्य दंगापीड़ित इलाकों में यह सच्चाई सामने आयी कि दंगे महिलाओं के मामले में खासतौर पर भयावह ढंग से नृशंस रूप धारण कर लेते हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि किस तरह भाजपा के नेता धर्म की आड़ में महिला मुक्ति के संघर्ष के बुनियादी स्तरों पर ही हमला करते हैं। उन्होंने महिलाओं से इस खतरे के बारे में बाखबर रहने को अपील की।

सुशीला गोपालन ने नयी आर्थिक नीति से उत्पन्न संकट और बढ़ती कीमतों तथा उन पर काबू पाने में केंद्र सरकार की विफलता की ओर ध्यान खींचा। उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि न सिर्फ सभी वस्तुओं की नियंत्रित कीमतों में बढ़ोतरी की गयी है, बल्कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में सबसे ज्यादा और लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साफ है कि केंद्र सरकार धनवानों की रक्षा कर रही है और गरीबों को दंडित कर रही है।

श्यामली गुप्त ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 30 फीसद स्थान सुरक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया। प. बंगाल में इस सिलसिले में बनाये गए कानून के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने राज्य में प्रशासनिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की ओर भी ध्यान खींचा।

ज्वलंत मुद्दे

गणतांत्रिक महिला समिति के सम्मेलन में प. बंगाल के 18 जिलों से आयीं 600 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में गणतांत्रिक महिला समिति अध्यक्ष कनक मुखर्जी द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट पर दो दिन तक अच्छी बहस हुई। रिपोर्ट में हमारे अर्द्धसामंती-अर्द्ध पूंजीवादी समाज में महिलाओं के संघर्ष की विरासत को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया है कि जनतंत्र और जनता के अधिकारों की हिफाजत के संघर्ष में महिलाओं की उल्लेखनीय हिस्सेदारी रही है।

आजादी की लड़ाई के दौर में भी उनकी शानदार भूमिका रही थी और आज भी महिलाओं की शानदार भूमिका है।

इस पृष्ठभूमि में रिपोर्ट में रेखांकित किया गया कि किस तरह कांग्रेस (आइ) अपनी जनविरोधी नीतियों से महिलाओं की मुक्ति की प्रक्रिया का गला घोंट रही है। उधर केसरिया पलटन ने भी महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। महिलाओं को उत्पादक गतिविधियों में हिस्सेदारी के मार्ग की भी लगातार बढ़ती बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया कि इस वर्ष मई में गणतांत्रिक महिला समिति अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर जाएगी। इस सिलसिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का भी सम्मेलन ने फैसला लिया।

गणतांत्रिक महिला समिति की स्वर्ण जयंती मनाने से सम्बन्धित प्रस्ताव के अलावा साम्राज्यवादी साजिशों के खिलाफ, साम्प्रदायिकता के जहर के खिलाफ, नयी औद्योगिक तथा आर्थिक नीतियों के खिलाफ, महिला आयोग के संबंध में, परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में जाति, धर्म, साम्प्रदाय तथा लिंग से ऊपर उठकर सबके लिए समान कानून के पक्ष में, भूमि सुधारों की माँग के पक्ष में, सांस्कृतिक पतन के खिलाफ, पंचायतों के सिलसिले में, महिलाओं की गरिमा तथा समानता की हिफाजत के लिए और त्रिपुरा के चुनाव में वाममोर्चा उम्मीदवारों के पक्ष में भी प्रस्ताव स्वीकार किये गये। इसके अलावा बम्बई तथा कलकत्ता में बम विस्फोट में मरने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और राहुल सांस्कृत्यायन की जन्मशती मनाने के संबंध में भी प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

बिहार प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविकाओं पर जुल्म

बिहार प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर बड़े पैमाने पर दमनात्मक कार्रवाई चल रही है। इसके तहत जाति भेद एवं वर्ग भेद का राजनीतिक षड्यन्त्र किया जा रहा है। अधिकांश परियोजनाओं में उच्च जाति की सेविकाओं को यह कहकर हटाया जा रहा है कि इस अनु० जाति। जन-जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को ही लाभान्वित करने के उद्देश्य से किया गया है। जबकि यथार्थ में इस परियोजना का संचालन कमजोर एवं उत्पीड़ित वर्ग क उत्थान हेतु किया गया है। सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़कर बिहार सरकार के सचिव, कल्याण विभाग ने एक परिपत्र जारी करते हुए सभी प्रभावीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि जिस गांव में जिस जाति का बाहुल्य हो सेविका उसी जाति की होगी।

ज्ञातव्य है कि बिहार सरकार का यह आदेश भारतीय संविधान के विपरीत है। सेविकाओं ने इसके विरुद्ध एक जन-आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया है। तथा राज्यपाल प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति भारत सरकार को एक फैक्स संदेश भेजकर उनसे अनुरोध किया है कि वे स्वयं अपनी अभिरुचि लेकर बिहार सरकार के गलत निर्णय पर रोक लगाये।

सेविकाओं ने बिहार सरकार के पत्रांक 1373 दिनांक 11.6.92 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक रिट याचिका भी दायर किया है, जिसकी सुनवाई लम्बित है।

बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं कर्मचारी संघ ने एक चरणबद्ध आंदोलन चलाने का का निर्णय लिया है।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन

केन्द्र सरकार की जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध तथा मानदेय की बड़ी राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकारों को धन प्रदान न करने के खिलाफ आई.सी.डी.एस. राज्य समिति के आह्वान पर अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 1 मार्च को एस्प्लांड ईस्ट, कलकत्ता में प्रदर्शन किया। 'राइटर्स बिल्डिंग' में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। इस अवसर पर बोलने वालों में डॉ. छाया बेरा, निरुपमा चटर्जी (सचिव, पश्चिम बंगाल), रत्ना दत्ता, (सह-सचिव) तथा कार्यकारी अध्यक्ष बाब्तोष रॉय शामिल थे। सभी वक्ताओं ने केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियों व अयोध्या मामले में केन्द्र सरकार की भूमिका की आलोचना की। यह कहा गया कि भाजपा वह पार्टी है जो एक ऐसी विचारधारा का सतत् प्रचार कर रही है जो मजदूर वर्ग की एकता को कमजोर करती है तथा देश की एकता व अखंडता को छिन्न-भिन्न कर देश के विघटन का रास्ता खोलती है।

त्रिपुरा में वाम मोर्चे की जबर्दस्त जीत

त्रिपुरा चुनावों में शानदार विजय के लिए सीटू वहाँ के मजदूर वर्ग व जनता को बधाई देती है, इस विजय से त्रिपुरा में कांग्रेस-टी. यू. जे. एस गठबन्धन के अर्ध-फासीवादी शासन के आतंक के दिनों का अंत हो गया है।

यह विजय पिछले पांच वर्षों में वहाँ की जनता व लोकतांत्रिक शक्तियों द्वारा माकपा के नेतृत्व में किये गये शानदार संघर्ष का परिणाम है जिसके दौरान उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े व अभूतपूर्व बलिदान करने पड़े।

जैसा कि सारा सभ्य संसार जानता है कि कांग्रेस व उसके सहयोगी गुण्डों ने कानून के राज्य को जंगल-राज में बदल दिया था। हत्या, आगजनी व सामूहिक बलात्कार आये दिन की बातें थीं। सीटू व अन्य लोकतांत्रिक संगठन उनका विशेष निशाना थे। कांग्रेसी गुण्डों ने सीटू व अन्य संगठनों के सैकड़ों दफ्तरों पर कब्जा किया व उनके 200 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। अनेक को शहर छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर उन्होंने वहां बर्बरता की स्थिति पैदा कर दी थी।

त्रिपुरा की जनता व मजदूर वर्ग ने अपनी विजय से यह पुनः साबित कर दिया है कि इतिहास का आखिरी दाव प्रतिक्रियावाद के हाथ में नहीं है। जनता अजेय है।

सीटू को आशा है कि वाम मोर्चे व सहयोगी संघर्ष के नये चरण में भी ऐसी ही सफलता प्राप्त करेंगे तथा राज्य में सामान्य जन-जीवन बहाल करेंगे।

[पृष्ठ 2 का शेष]

जा सके व मुद्राकोष-विश्व बैंक के बंधनों से मुक्त होकर आत्मनिर्भर आर्थिक नीति बनाने को तैयार किया जा सकेगा।

नेताओं ने फासीवादी शक्तियों द्वारा हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा थोपने पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने सभी धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक ताकतों से मिलकर इस खतरे का मुकाबला करने की अपील की। बैठक में राष्ट्रीय एकता अभियान का समर्थन किया गया तथा संघर्ष का निम्न कार्यक्रम तय किया गया :

1. जनविरोधी रेल तथा आम बजटों के खिलाफ 25 से 31 मार्च तक एक सप्ताह मनाया जाय और इस सिलसिले में संयुक्त रैलियों, प्रदर्शनों, गेट मीटिंगों कन्वेंशनों पोस्टर लगाने व पर्चे छापने व बांटने आदि का आयोजन किया जाय।

2. 15 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, आई एम एफ द्वारा थोपी जा रही मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक विशाल कन्वेंशन का आयोजन किया जाय।

3. आर्थिक नीतियों के खिलाफ भारत बंद की तैयारी की जाय जिसकी तारीख बाद में राष्ट्रीय कन्वेंशन में तय की जायेगी।

4. सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखने और धर्म-निरपेक्षता की हिफाजित करने के शपथ पत्र पर करोड़ों हस्ताक्षर एकत्र करने का अभियान तेज करना। ये हस्ताक्षर 13 अप्रैल को राष्ट्रीय एकता अभियान की ओर से राष्ट्रपति को दिए जायेंगे। सभी हस्ताक्षर 31 मार्च तक दिल्ली में संबन्धित संगठनों के पास पहुंच जाने चाहिए।

5. राष्ट्रीय एकता अभियान द्वारा 14 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित की जा रही रैली में भारी तादाद में हिस्सेदारी।

Book Post